संक्षिप्त-पाराशर-स्मृति

—:o:—

अर्थात्

श्री पाराशर मुनि की बनायी हुई स्मृति के चुने हुए
प्रकरणों का सरल हिन्दी भाषा में भावार्थ

संग्रहकर्त्ता

चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्म्मा

—:o:—

" कृते तु मानवो धर्म्मस्त्रेतायां गौतमः स्मृतः।
द्वापरे शङ्खलिखितौ कलौ पाराशरः स्मृत. ॥ "

—पाराशर स्मृतिः

प्रकाशक

नेशनल प्रेस, प्रयाग

द्वितीय संस्करण] [मूल्य ।~)

उपहार

—:o:—

"बालकोपयोगी-पुस्तकमाला" का यह नवाँ अङ्क, हम उन कोमल हृदय और भोले भाले बच्चों को उपहार में देते हैं, जो बड़े होने पर अपने देश के नेता बनना चाहते हैं और जिनकी नैतिक-ज्ञान वृद्धि के साथ साथ, इस देश की सम्पत्ति बढ़ सकती है।

संग्रहकर्त्ता

ग्रन्थ-परिचय

सनातन[1] धर्म्म वाले जिस तरह, चार वेद[2], चार उपवेद[3] छः वेदाङ्ग[4], १०८—उपनिषद्[5]; छः दर्शन[6] और १८ पुराण[7] मानते हैं, वैसे ही वे बीस स्मृतियाँ[8] भी मानते हैं। अर्थात् १—मनु, २—अत्रि, ३—विष्णु, ४—हारीत, ५—याज्ञवल्क्य, ६—उशना, ७—अङ्गिरा, ८—यम, ९—आपस्तम्ब, १०—सम्वर्त्त, ११—कात्यायन, १२—बृहस्पति, १३—पाराशर, १४—व्यास, १५—शङ्ख, १६—लिखित, १७—दक्ष, १८—गौतम, १९—शातातप और २०—वसिष्ठ—ये बीस स्मृतियाँ हैं।

---

१ जो धर्म्म अनादि काल से चला आता है, उसे "सनातन धर्म्म" कहते हैं।

२ १ ऋग्-वेद, २ यजुर्वेद, ३ साम-वेद और ४ अथर्व-वेद।

३ १ आयुर्वेद, २ धनुर्वेद, ३ गान्धर्व-वेद और ४ अर्थ-वेद।

४ १ शिक्षा, २ कल्प, ३ व्याकरण, ४ निरुक्त, ५ छन्द, ६ ज्योतिष।

५ सब के नाम गिनाने से विषय बढ़ जायगा। उपनिषदों की गणना में पण्डितों में परस्पर मत-भेद भी है। विधर्मियों ने उपनिषदों में भी बहुत कुछ अपना मेल मिलाया है।

६ १ मीमांसा, २ सांख्य, ३ योग, ४ वेदान्त, ५ न्याय और ६ वैशेषिक।

७ अठारह पुराणों के नाम हम "श्री मद्भागवत्-सग्रह" की भूमिका में लिख चुके हैं। वहीं देखो।

८ मन्वत्रिविष्णु हारीत याज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिरा.।
यमापस्तम्बसम्वर्त्ताः कात्यायन बृहस्पती॥
पाराशर व्यास शङ्ख लिखिता दक्ष गौतमौ।
शातातपो वसिष्ठश्च धर्म्मशास्त्र प्रयोजका.॥

—याज्ञवल्क्य-स्मृतिः अ० १ श्लो० ४-५.

इन बीसों स्मृतियों में मनु-स्मृति[1] प्रधान मानी जाती है। क्योंकि वेद में लिखा है कि जो मनु कहते हैं, वह प्राणियों के लिये इस संसार के रोगों को छुड़ाने के लिये औषध है। पर पाराशर जी ने लिखा है कि सत-युग के लिये मनु-स्मृति, त्रेता-युग में गौतम-स्मृति, द्वापर-युग में सङ्ख-स्मृति और कलि-युग के लिये पाराशर-स्मृति मानी जाती है[2]।

पाराशर-स्मृति के बारे में एक बात विचारने की है। प्रयाग के एक पुस्तकालय के सूची-पत्र में हमने पाराशर के नाम से दो स्मृतियों के नाम पाये। वृहत्-पाराशर-स्मृति दूसरी केवल पाराशर-स्मृति। किन्तु दुर्भाग्यवश हमको वृहत्-पाराशर-स्मृति के उस पुस्तकालय में दर्शन न हुए। इस लिये हम यह नही कह सकते कि कलियुग के लिये वृहत्-पाराशर-स्मृति को या लघु पाराशर-स्मृति को मानना चाहिये। सन्देहावस्था में हमें दोनों पाराशर-स्मृति कलियुग के प्राणियों के लिये उपयोगी और प्रामाणिक इस लिये माननी पड़ती हैं कि दोनों स्मृतियों के प्रमाण अन्य धर्म्माचार्य्यों ने अपने अपने ग्रन्थों में उद्धृत किये हैं।

प्रसङ्ग आ पड़ने पर हम अपने सनातन धर्म्मावलम्बियों को सतर्क कर देना चाहते हैं कि वर्त्तमान समय में हमारे मान्य धर्म्मग्रन्थों की दुर्दशा की जा रही है। आज से पचास साठ वर्ष बाद, जब संस्कृत विद्या, प्राचीन विद्याओं की श्रेणी में केवल गिनी जाने लगेगी—तब उस समय लोग वृहद् गीता और

---

१ संक्षिप्त मनु-स्मृति छपी तय्यार है, मूल्य ।-) है।

२ कृते तु मानवो धर्म्मस्त्रेतायां गौतम' स्मृतः।
द्वापरे शङ्ख लिखितौ, कलौपाराशरः स्मृतः॥

—पाराशर-स्मृति अ० १ श्लो० २३

बाल-गीता, बृहद्-भागवत और बाल-भागवत के चक्कर में पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त सनातन धर्म्मावलम्बियों के लिये एक और भी विष-वृक्ष बोया जा रहा है। जिन आधुनिक पन्थानुयायियों के संस्कृत-विद्यालयों में वर्ण भेद का विचार छोड़ कर—ऊँच नीच सभी एक तराज़ू में तौले जा रहे हैं, वहाँ उनके नाम भी, भगेलू, सकेलू बदल कर, हरीत, पराशर भरद्वाज, याज्ञवल्क्य आदि रखे जा रहे हैं। दस बीस वर्ष बाद, जब वे पढ़ लिख कर तय्यार होंगे तब उनकी भी हारीत-संहिता, पाराशर-संहिता आदि संहितायें तय्यार होंगी और स्वार्थी लोग उन्हीं के प्रमाण उद्धृत कर, भोले भाले लोगों को फंसावेंगे। इस लिये अब हमको प्राचीन ऋषियों के बनाये ग्रन्थों को, बस्तों में बाँध कर ही रक्षा न करनी चाहिये, किन्तु उनका प्रचार कर के; उनकी व्यापकता बढ़ानी चाहिये।

पाराशर-स्मृति में बारह अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में, ६४; दूसरे में, १६; तीसरे में, ५४; चौथे में, ३१; पाँचवें में, २५, छठवें में, ७१; सातवें में, ४३; आठवें में, ४६; नवें में, ६२; दसवें में, ४२, ग्यारहवें में, ५३; और बारहवें अध्याय में, ७४ श्लोक हैं। इस हिसाब से सब मिला कर, ५८२ श्लोक होते हैं। पर उसी स्मृति के बारहवें अध्याय के ७३ वें श्लोक के अनुसार इस स्मृति में ५९९ श्लोक[1] होने चाहिये। अर्थात् स्मृति में लिखी हुई श्लोक-संख्या और उपलब्ध श्लोक-संख्या में १७ श्लोकों का अन्तर पड़ता है। सम्भव है सत्रह श्लोक पुस्तक लेखकों के प्रमाद से भिन्न भिन्न अध्यायों में छूट गये हों। या सम्प्रदाय-द्वेषियों ने उन्हें जान बूझ कर निकाल डाले हों।

---

[1] एतत् पाराशरं शास्त्रं श्लोकानां शतपञ्चकम्।
द्विनवत्या समायुक्तं धर्म्मं शास्त्रस्य संग्रहः॥

यह कहते हमें सङ्कोच नहीं होता कि इस स्मृति का विषय-क्रम बड़ा गड़बड़ है। जिस तरह मनु-स्मृति में क्रम से विषय संग्रह किये गये हैं, वैसे इस स्मृति में नहीं हुए। कहीं कहीं एक एक बात के दो दो बार लिखा है। यह दोष केवल स्मृति के संग्रहकर्त्ता का है। व्यभिचारिणी स्त्रियों के प्रायश्चित्त का विधान इस स्मृति में विस्तृत रूप से दिया हुआ है। पर हमने उसे इस पुस्तक में लिखना अनुपयोगी और अनुचित समझा। इस लिये उस विषय को छोड़ दिया है।

इस स्मृति में, स्मृति-कार ने गो-हत्या ब्रह्म-हत्या और सुरा-पान को महापातक बतला कर, उनके प्रायश्चित्त विस्तृत रूप से बतलाये हैं। गौ का पालना, प्रत्येक हिन्दू गृहस्थ; जब तक अपना धर्म्म न समझेगा, तब तक कलियुग में गो-वंश की रक्षा नहीं हो सकती। इस स्मृति के नवें अध्याय के देखने से मालूम होगा कि गौ को ज़रा भी कष्ट देने वाले के प्रायश्चित्त करने की विधि बतलायी गयी है। इसका धर्म्म से तो सम्बन्ध है ही, पर इसका यह भी एक कारण है कि भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। यहाँ की कृषि का प्रधान अङ्ग गो-वंश है। इस देश के धर्म्म-शास्त्र बनाने वालों ने गो-वंश की वृद्धि के लिये, ऐसे नियमों की रचना की है।

पाराशर के मतानुसार कन्या का विवाह बारह वर्ष[1] के पहिले ही हो जाना चाहिये। कन्या के विवाह के बारे में पं० काशीनाथ ने जो श्लोक शीघ्रबोध नाम के संग्रह में संग्रहीत किये हैं और जिनमें कन्या की गौरी, रोहिणी आदि संज्ञाएँ लिखी हैं—वे असल

१ प्राप्ते तु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति।
मासि मासि रजस्तस्याः पिबन्ति पितरः स्वयम्॥
श्लो० ७ अध्याय ७

में पाराशर-स्मृति ही के श्लोक हैं। इस स्मृति में रजस्वला होने के पूर्व कन्या का विवाह कर देना माता पिता का कर्त्तव्य बतलाया गया है। पर वर की उम्र कितनी होनी चाहिये—इस विषय पर कुछ भी विचार नहीं किया गया।

इस स्मृति के आठवें अध्याय में समय समय पर धर्म्म की व्यवस्था में परिवर्त्तन करने का अधिकार भी दिया गया है। आठवें अध्याय के १५ वें श्लोक में लिखा है कि "चार या तीन वेद जानने वाले ब्राह्मण जो कुछ व्यवस्था दें—वही धर्म्म-सम्मत व्यवस्था माननी होगी, पर उनसे भिन्न यदि हजारों आदमी व्यवस्था दें, तो वह व्यवस्था न माननी चाहिये[1]।

पर पाराशर मुनि ने जहाँ धर्म्म की रक्षा पर अधिक ज़ोर दिया है, वहाँ धर्म्म पालन के समय शरीर की रक्षा का ध्यान रखना भी प्राणीमात्र का कर्त्तव्य ठहराया है। मुनि की आज्ञा है कि 'विपत्ति पड़ने पर जैसे बने वैसे—सीधे या टेढे बन कर, दीन आत्मा का उद्धार करे। पीछे जब अवसर मिले, तब धर्म्म कर्म्म करे[2]। अर्थात् यदि शरीर बना रहा तो धर्म्म हो जायगा और यदि शरीर ही न रहा तो फिर धर्म्म कर्म्म कौन करेगा—इस लिये देह-धारियों को अपने शरीर की रक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिये।

भगवान् पाराशर ने भी गायत्री की आराधना और गायत्री मंत्र के जप को सब पापों के नाश का कारण बतलाया है। परा-

---

१ चत्वारो वा त्रयोवापि यद्ब्रूयुर्वेदपारगाः।
स धर्म्म इति विज्ञेयो नेतरैस्तु सहस्रश' ॥
श्लो० १५ अ० ८,

२ येन केन च धर्म्मेण मृदुना दारुणेन च।
उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थो धर्म्ममाचरेत् ॥
श्लो० ४२ अ० ७,

शर के बतलाये प्रायश्चित्त, पापी को आगे चल कर पाप करने से तो रोकते ही हैं पर उन प्रायश्चित्तों से दूसरे लोगों को भी उचित शिक्षा मिलती है। जैसे ब्रह्म-हत्या करने वाले को नगर नगर गाँव गाँव अपने पाप कर्म्म को चिल्ला कर, कहने की आज्ञा दी गयी है[1]। प्राचीन समय के धर्म्म व्यवस्थापकों ने पापियों के लिये कठोर दण्ड इसी लिये नियत किये हैं, जिससे लोग पाप करने से डरें और पाप करने वालों की संख्या कम हो।

पाराशर मुनि ने परम-धर्म्म को बतलाते हुए लिखा है —

धर्म्मशास्त्ररथारूढा 'वेदखड्गधरा' 'द्विजाः'।
क्रीडार्थमपि 'यद्ब्रूयुः' स 'धर्म्मः' परम. 'स्मृतः'॥

अर्थात् जो द्विज धर्म्मशास्त्र रूपी रथ पर सदा सवार हो कर और वेद रूपी खड्ग (तलवार) को हाथ में लिये रहता है— वह द्विज यदि हँसी दिल्लगी में भी कोई बात कहे, तो वह भी परम-धर्म्म माननी चाहिये।

पुराणों में पाराशर का जो परिचय दिया गया है वह यह है। पाराशर एक बड़े तपस्वी थे। वे वशिष्ठ जी के पौत्र थे। उनके पिता शक्ति को राक्षसों ने मार कर खा डाला था। अपने पिता के मारने वालों से बदला लेने के लिये, उन्होंने राक्षसों का विध्वंस करने के निमित्त एक यज्ञ भी किया था। पर उनके बाबा ने उन्हें रोक दिया और समझाया कि उनके पिता की मृत्यु इसी तरह होनी लिखी थी

---

१ अहं दुष्कृत कर्म्मा वै महापातक कारकः।
गृह द्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी महापातकः॥

श्लो० ६, अ० १२

पुलस्त्य जी ने उन्हें विष्णु-पुराण पढाया था, जिसे उन्होंने पीछे से मैत्रेय को सुनाया। छब्बीसवें द्वापर में पाराशर ही व्यास थे और उन्होंने ऋग् और साम-वेद की एक शाखा अपने शिष्यों को सिखलायी थी।

कलियुग में आपने यह स्मृति बनायी। इनकी स्मृति का उल्लेख याज्ञवल्क्य-स्मृति में भी किया गया है। इनके नाम से एक तन्त्र ग्रन्थ और एक ज्योतिष ग्रन्थ भी प्रचलित है। इन दोनों ग्रन्थों के रचयिता इस स्मृति के कर्त्ता पाराशर ही हैं, या इस नाम के कोई दूसरे महात्मा—इसका निर्णय हम नहीं कर सकते।

"बालकोपयोगी पुस्तकमाला" की यह नवीं पुस्तक है। हमें आशा है कि जिस तरह अभी तक हिन्दी जानने वालों ने, इस माला की, अन्य पुस्तकों को चाव से अपने बालक बालिकाओं को पढ़ाया है—उसी तरह इस पुस्तक को भी वे बालक बालिकाओं को पढ़ने के लिये देंगे।

स्मरण रहे इस "पुस्तकमाला" की भूमिका और "ग्रन्थ-परिचय" बालक बालिकाओं के पिता माता और उनके अभिभावकों के लिये ही लिखे जाते हैं।

प्रयागः
पौष कृष्ण १४ सं० १९६७. } चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्म्मा

विषय-सूची

—:o:—

१—पहिला अध्याय	१
२—दूसरा अध्याय	११
३—तीसरा अध्याय	१३
४—चौथा अध्याय	२१
५—पाँचवाँ अध्याय	२५
६—छठवाँ अध्याय	२६
७—सातवाँ अध्याय	३८
८—आठवाँ अध्याय	४४
९—नवाँ अध्याय	५२
१०-दसवाँ अध्याय	६३
११-ग्यारहवाँ अध्याय	६४
१२-बारहवाँ अध्याय	७१

संक्षिप्त-पाराशर-स्मृति

पहिला अध्याय

बहुत पुरानी बात है, एक दिन, हिमालय पहाड़ के ऊपर, देवदारु वन में, व्यास जी महाराज अपने आश्रम में एकाग्र-मन बैठे हुए थे।

उस समय उनसे ऋषियों ने पूँछा —

ऋषिगण—हे सत्यवती के पुत्र! कृपा कर, यह बतलाइये कि कलि-युग में प्राणियों की भलाई किस धर्म्म, किस आचार और कैसा शौच रखने से हो सकती है?

प्रज्वलित अग्नि और सूर्य्य के समान तेज वाले, वेद तथा स्मृतियों के पूरे पण्डित श्री वेदव्यास जी ने ऋषियों से कहा —

श्री वेदव्यास—जब मैं स्वयं धर्म्म के तत्व को भली भाँति नहीं जानता, तब मैं धर्म्म की बात आप लोगों से कैसे कह

सकता हूँ। पर आप लोग यदि अपने प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर चाहते हों तो मेरे पिता श्री पाराशरजी के पास जाइये। वे आपके प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देंगे।

धर्म्म के तत्व को जानने के लिये उत्सुक, ऋषि लोग, व्यास जी-को आगे कर, बदरिकाश्रम की ओर श्री पाराशर जी के पास चल दिये।

पाराशर जी का आश्रम फलों और फूलों से सुशोभित था और आश्रम के चारों ओर तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। वह आश्रम नदी, झरने और पुण्य-दायी तीर्थों से भरा पूरा था। उसके इधर उधर हिरन घूम रहे थे और नाना प्रकार के पक्षी पेड़ों की डालियों पर बैठे हुए थे। आश्रम के पास ही अनेक देव-मन्दिर भी थे। यक्ष, गन्धर्व, सिद्धगण, चारों ओर नाच रहे थे और गा रहे थे। ऐसे रमणीक और सुन्दर आश्रम में शक्ति के पुत्र श्री पाराशर जी महाराज बड़े बड़े ऋषियों के बीच में सुखासन से बैठे थे।

उसी समय व्यास जी भी सब ऋषियों को साथ लिये हुए उनके पास पहुँचे।

प्रदक्षिणा और प्रणाम कर, व्यास जी ने श्री पाराशर मुनि की स्तुति की।

इसके बाद महामुनि पाराशर जी ने प्रसन्न हो कर, उनसे कुशल मङ्गल पूँछा।

इस पर व्यास जी और उनके साथ वाले ऋषियों ने कहा—
"हम सब कुशल से हैं।"

फिर व्यास जी ने अपने पिता श्री पाराशर जी महाराज से निवेदन किया—

व्यासजी—हे पिता! यदि आप जानते हों कि आपके चरणों में मेरी कैसी भक्ति है और यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है, तो हे भक्त-वत्सल पिता! आप मुझे धर्म्म-उपदेश करिये। मैं आपका अनुगृहीत होऊँगा। मैं आप से मनु, वसिष्ठ, कश्यप, गर्ग, गौतम, उशना, अत्रि, विष्णु, सवर्त्त, दक्ष, अङ्गिरा, शातातप, हारीत, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, प्रचेतस, आपस्तंव, शङ्ख आदि ऋषियों की बनायी हुई स्मृतियाँ पढ़ चुका हूँ। आपकी कही हुई कथाएँ मुझे ज्यों की त्यों याद हैं। पर ये स्मृतियाँ सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के लिये ही बनायी गयी हैं। जो धर्म्म सतयुग में थे, वे प्रायः सभी, कलियुग में नष्ट हो चुके हैं। इस लिये कृपा कर, चारों वर्णों का थोडा थोड़ा साधारण धर्म्म मुझे सुनाइये।

व्यास जी की प्रार्थना पूरी होने पर, श्री पाराशर जी ने धर्म्म का स्थूल (मोटा) सूक्ष्म (पतला, मिहीन) निर्णय, विस्तार से समझा कर कहना आरम्भ किया।

पाराशर जी ने कहा—"हे बेटा व्यास! और हे ऋषियो! अब मैं तुम्हें धर्म्म की कथा सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान दे कर उसे सुनिये।

प्रलय के अन्त होने पर हर एक कल्प में नये सिरे से इस संसार (सृष्टि) की रचना की जाती है।

उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, वेद, स्मृति और सदाचार का सदा निर्णय हुआ करता है।

एक कल्प का अन्त होने पर, दूसरे कल्प के आरम्भ में कोई वेद का बनाने वाला नियत (निर्दिष्ट) नहीं किया जाता।

चार मुँह वाले ब्रह्मा जी भूले हुए वेद को याद (स्मरण) करते हैं। इस लिये वेद के स्मरण-कर्त्ता कहलाते हैं।

ऐसा भी होता है कि किसी किसी कल्प के आरम्भ में, धर्म्म (वेद) को स्मरण करने का अधिकार मनु जी भी पाते हैं।

सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में रहने वाले प्राणियों के धर्म्म-कर्म्म जुदे जुदे होते हैं।

सतयुग के लोगों का प्रधान धर्म्म तपस्या, त्रेता के लोगों के लिये प्रधान धर्म्म-ज्ञानी होना और ज्ञान प्राप्त करना, द्वापर के लोगों को 'यज्ञ' का करना उनका प्रधान धर्म्म-कार्य्य बतलाया है, पर कलियुग में केवल दान देने ही को प्रधान धर्म्म का कार्य्य बतलाया है। श्री पाराशर जी ने कहा; सतयुग में मनु की, त्रेता में गौतम की, द्वापर में शङ्ख की और कलियुग में, मेरी बनायी हुई स्मृति चलती है।

पापियों का संसर्ग बचाने के लिये सतयुग के लोगों को चाहिये कि वे उस देश को छोड़ दें जिसमें पापी रहते हैं और त्रेता में केवल वह गाँव छोड़ देना चाहिये जिसमें पापी बसते हों और द्वापर में पापियों के कुल से किसी तरह का व्यवहार न रखना चाहिये, पर कलियुग में केवल पापियों का साथ छोड़ना ही बहुत है।

सतयुग में पापी के साथ बात चीत करने से, त्रेता में पापी को देखने से, द्वापर में पापी का अन्न खाने से और कलियुग में मनुष्य अपने ही कर्मों से पापी होता है।

सतयुग में शाप का फल हाल के हाल, त्रेता में दस दिन के भीतर, द्वापर में एक महीने के भीतर और कलियुग में एक साल में मिलता है।

सतयुग में यदि दान देना हो तो दान देने वाले को दान लेने वाले के पास जाना चाहिये। त्रेता में दान लेने वाले को बुला कर दान देना चाहिये। द्वापर में दान लेने वाला जब माँगने आवे, तब उसे दान देना चाहिये। कलियुग में दान उसे देना चाहिये, जो अपनी सेवा करता हो[1]।

दान लेने वाले के पास जा कर जो दान दिया जाता है, वह उत्तम, दान लेने वाले को बुला कर, दान देना मध्यम और माँगने वाले को दान देना 'अधम' कहलाता है। पर जो दान सेवा करने वाले को दिया जाता है, उस दान का कुछ भी फल नहीं होता। ऐसा दान निष्फल होता है।

मनुष्य का प्राण, सतयुग में हड्डी में रहता था। त्रेता में माँस में आया, द्वापर में लोहू में पहुँचा और कलियुग में मनुष्यों का प्राण अन्न में जा टिका। अर्थात् सतयुग के मनुष्य बड़े बलवान होते थे, उनसे उतर कर त्रेता में हुए, उनसे भी उतर कर, बल द्वापर वालों में रहा—पर कलियुग में लोग अति निर्बल पड़ गये। कलियुगी लोगों के महीने में दो एकादशी के उपवासों से प्राण निकल जाते हैं और सतयुग के लोग, सालों तक पवन पी कर, बिता दिया करते थे।

कलियुग का यह नियम समझना चाहिये कि अधर्म्म से धर्म्म, झूठ से सच, नौकरों से राजा और स्त्री (पत्नी) से पुरुष (पति) सदा हार जाया करते हैं।

कलियुग में अग्नि होत्री नहीं होते, लोग गुरु तक को नहीं मानते और बहुत छोटी अवस्था ही में स्त्रियाँ बच्चों की माताएँ हो जाती हैं।

---

१ अभिगम्य कृते दानं। त्रेतास्वाहूय दीयते।
द्वापरे याचमानाय। सेवया दीयते कलौ॥

जैसे युगों के धर्म्म जुदे जुदे हैं, वैसे ही जुदे जुदे युगों में ब्राह्मण भी जुदे जुदे धर्म्म के मानने वाले और भिन्न भिन्न आचरण करने वाले हुआ करते हैं। इस लिये सतयुग के ब्राह्मणों की त्रेता के ब्राह्मणों के साथ; अथवा सतयुग के ब्राह्मणों की कलियुग के ब्राह्मणों के साथ तुलना कर के—ब्राह्मणों की निन्दा न करनी चाहिये। क्योंकि जैसा युग होता है, वैसे ही ब्राह्मण भी होते हैं।

अन्य युगों में मनुष्यों की सामर्थ को विचार कर, अन्य ऋषियों ने प्रायश्चित्त बतलाये हैं। कलियुग में पाराशर जी के कहे हुए प्रायश्चित्त ही ठीक हैं। क्योंकि उन्होंने कलियुगी मनुष्य के शरीरों की शक्ति को भली भाँति विचार प्रायश्चित्त बतलाये हैं।

श्री पाराशर जी ने कहा—"आज मैं कलियुग के धर्म्मों को स्मरण करता हुआ, कलियुगी धर्म्म को कहता हूँ।

हे ऋषियो! पहिले मैं आपको चारों वर्णों के आचार (अर्थात् करने योग्य काम और वर्तने योग्य नियम) बतलाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिये। मैं जो अब कहता हूँ, वह पवित्र है, पुण्य का बढ़ाने वाला है और पाप का नाश करने वाला है।

कलियुग में मेरे कहे धर्म्मों के पालन करने से ब्राह्मणों का कल्याण होता है और धर्म्म की मर्य्यादा बनी रहती है।

मनुष्य के आचरण ही चारों वर्णों के धर्म्म की जड़ हैं। जिसके आचरण बुरे हैं, उससे धर्म्म सदा रूठा रहता है।

जो ब्राह्मण छः कर्म्मों में लगे रहते हैं और जो नित्य भगवान की पूजा करते हैं, अभ्यागतों का सत्कार करते हैं और हवन कर के बचे हुए अन्न को भोजन करते हैं, उनको कलियुग में कभी दुःख नहीं मिलते।

१ नित्य सवेरे स्नान करना, २ प्रातःसायं-सन्ध्या करना, ३ जप करना, ४ होम करना, ५ वेद पढना, ६ भगवान का पूजन तथा बलिवैश्वदान—ये छः काम ब्राह्मणों को नित्य करने चाहिये।

मित्र हो अथवा शत्रु हो, पण्डित हो या मूर्ख हो, यदि कोई बलिवैश्व करने के समय आ जाय तो उसीको अतिथि समझ लेना चाहिये। उसीके सत्कार से स्वर्ग मिलता है।

बहुत दूर से आये हुए और थके हुए मनुष्य को अतिथि मान कर, उसका सत्कार करना चाहिये। घर में ठहरे हुए मेहमान अतिथि नहीं हो सकते।

अतिथि से उसके गोत्र, आचरण और विद्या की योग्यता, के बारे में पूँछ पाँछ न करनी चाहिये। श्रद्धा-सहित अतिथि का सत्कार करना चाहिये। अतिथि को भगवान का स्वरूप समझना चाहिये।

अपने या अपने घरवालों में से किसी के नातेदार घरेलू काम करने के लिये यदि आवें, तो उन्हें अतिथि नहीं समझना चाहिये। वे ब्राह्मण भी अतिथि नहीं हैं जो एक ही गाँव या नगर में रहते हैं। क्योंकि अतिथि शब्द का अर्थ ही यह है कि जो नित्य न आवे।

बलिवैश्व के समय यदि कोई भिखारी आ जाय, तो वैश्वदेव के निमित्त निकाले हुए अन्न से थोड़ा सा अन्न निकाल, भिक्षुक को दे कर विदा कर दे। यदि ब्रह्मचारी आ जाय, तो वैश्वदेव वाले अन्न में से ब्रह्मचारी को दे देना चाहिये। इस अन्न के ये दोनों ही अधिकारी हैं। इन दोनों को बिना दिये स्वय भोजन कर लेने से चान्द्रायण व्रत करना चाहिये।

भिखारी को पहिले पानी दे, फिर अन्न दे और पीछे से उसे पानी फिर दे। इस तरह अन्न देने से दिया हुआ अन्न मेरु पहाड़ के बराबर और जल समुद्र के बराबर हो जाता है। अर्थात् जो पुण्य सुमेरु पर्वत के बराबर अन्न का दान करने से मिलता है और जो फल समुद्र जितना पानी देने से होता है, उतना पुण्य ऊपर कही हुई रीति से भिक्षुक को अन्न देने से होता है।

वैश्व-देव के दोषों को भिक्षुक मिटा सकते हैं। पर भिक्षुकों के दोषों को वैश्व-देव नहीं मेट सकते।

जो आदमी बलिवैश्व कि बिना भोजन कर लेता है, उसके लिये सारे अच्छे कर्म्म निष्फल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पाप लगता है, जिसका फल यह होता है कि मरने के बाद वे नरक में पड़ते हैं।

खाते समय सिर खुला रहना चाहिये। उस समय, टोपी, पगड़ी, मुड़ासा आदि कोई भी चीज़ न रहनी चाहिये। खाते समय दक्षिण की ओर मुख कर के और बांये पैर पर हाथ रख भोजन न करना चाहिये। जो ऐसा करते हैं, उनके किये हुए भोजन का फल राक्षसों को मिलता है।

संन्यासी को सोना, ब्रह्मचारी को पान न देना चाहिये और चोर की हिमायत और रक्षा कभी न करनी चाहिये। इस नियम के विरुद्ध चलने वाले नरक में गिरते हैं।

बलिवैश्व के समय कोई भी अतिथि आ जाय, चाहे वह पापी हो, चाहे वह चाण्डाल (जल्लाद) हो, चाहे वह ब्रह्मघाती (ब्राह्मण का मारने वाला) अथवा बाप का मारने वाला ही क्यों न हो, उसका सत्कार करना चाहिये।

जिस घर से अतिथि हताश हो कर लौट जाते हैं, उस घर वाले के पुरखे एक हज़ार वर्षों तक भूखों मरते हैं।

जो ब्राह्मण, वेद जानने वाले विद्वान् अतिथि को भोजन कराये बिना, भोजन कर लेता है—वह महापापी होता है।

ब्राह्मण का मुख काँटा और जल से रहित खेत है—इस खेत में जो बीज बोया जायगा, वह पेड़ हो कर अच्छा फल देगा[१]।

सदा अच्छे खेत में बीज बोना चाहिये और सुपात्र को दान देना चाहिये। अच्छे खेत और सुपात्र में जो कुछ छोड़ा जाता है—वह व्यर्थ नहीं जाता है।

जिस नगर के ब्राह्मण झूठ बोलते हों, पढ़ते लिखते न हों, भीख माँग कर, पेट भरते हों, उस नगर में बसने वालों को राजा दण्ड (सज़ा) दे। क्योंकि वे लोग बुरे आदमियों का पालन-पोषण करते हैं। उनकी उदारता से पापियों की बढ़ती होती है।

क्षत्रियों का धर्म है कि वे प्रजा की रक्षा करें। शत्रुओं को जैसे बने वैसे नाश करें और प्रजा को पालें।

यह पृथिवी उसी की है जिसकी भुजाओं में बल है। जो बलवान होता है वही पृथिवी को भोगता है[२]।

जैसे फूल-माला गूँथने के लिये वाटिका के फूल तोड़े जाते हैं; पेड़ उखाड़ कर, वाटिका उजाड़ी नहीं जाती—वैसे ही राजा प्रजा से उतना ही कर वसूल करे—जितने से प्रजा तो कर के बोझ से पिसे नहीं और ख़ज़ाना भर जाय। राजा को प्रजा पर कड़ाई की आग बरसा कर, उसका जड़ से नाश कभी न करना चाहिये।

---

१ ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निरुदकमकण्टकम्।
वापयेत् सर्ववीजानि सा कृषिः सर्वकामिका॥

२ * * * वीरभोग्या वसुन्धरा।

लुहारी, जड़ाई और सुनारी का काम, गौओं को पाल कर, उनके घी दूध को बेचना, तरह तरह के व्यापार करना और खेती बारी करना—ये कर्म्म वैश्यों के हैं।

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना, शूद्रों का काम है।

जिनके लिये जो कर्म्म ऊपर कह आये हैं, उनसे भिन्न कर्म्म करने वालों के सब कर्म्म निष्फल होते हैं।

निमक, शहद, तेल, दही, मठा, घी और दूध—इन वस्तुओं को शूद्र भी बेच सकते हैं। इन वस्तुओं के बेचने से वे पापी नहीं हो सकते।

यदि शूद्र भी हो और वह मांस और मदिरा बेचता हो, अनखानी वस्तु खाता हो और खोटे चाल चलन का हो—तो वह शूद्र भी नरक में गिरता है।

जिस गऊ के सींग हिलते हों, उसे कपिला गौ कहते हैं। उसका दूध पीने से, ब्राह्मणी के साथ खोटा काम करने से और वेद के मन्त्रों का विचार करने से, शूद्र अवश्य नरक में गिरता है।

दूसरा-अध्याय

ऊपर कहे हुए छओ[1] कर्म्मों का करने वाला ब्राह्मण जीविका के लिये खेती कर सकता है।

हल को आठ बैलों से चलवाना उत्तम है; छः बैल लगाना मध्यम है; चार लगाना कसाईपन है और दो लगाना तो मानो बैलों की हत्या करना है।

भूखे प्यासे बैलों को हल में कभी नहीं जोतना चाहिये।

अङ्ग-हीन, रोगी और कमज़ोर बैल पर ब्राह्मण को कभी बोझ न लादना चाहिये।

जो बैल मोटे ताज़े और मज़बूत हों उन्हीं से दोपहर तक हल चलवावे।

इसके बाद ब्राह्मण स्नान, जप, भगवान की पूजा, होम और वेद पढ़े। फिर शक्ति के अनुसार एक, दो, तीन अथवा चार वेद जानने वाले ब्राह्मणों को भोजन करावे।

खेत को जोत कर परिश्रम से धान बोवे। जब धान काटने योग्य हों, तब उन्हें काट कर उनसे पञ्च-महा-यज्ञ करे और उन धानों से औरों की सहायता भी दे।

ब्राह्मणों को तिल और रस नहीं बेचने चाहिये। वे और नाज, भूसा और लकड़ी बेच सकते हैं।

---

1 सातवाँ पृष्ठ देखो।

ब्राह्मण ये व्यापार करने से पापी नहीं होते।

धीवर एक वर्ष में मछलियों को मार कर जो पाप बटोरता है, लोहे की नोक वाला हल चलाने वाले को वे सारे पाप एक ही दिन में लग जाते हैं।

जाल बिछा कर मछली अथवा पशु पक्षी पकड़ने वाले १ मछुआ, २ बहेलिया, ३ सूम, ४ हल चलाने वाले और ५ व्याध—ये पाँचो समान पापी हैं।

१ ऊखल, २ शिल-बट्टा, ३ चूल्हा, ४ पानी का घड़ा और ५ झाड़ू—इन पाँचो चीज़ों से गृहस्थों को पाँच-हत्या नित्य लगती हैं।

पेड़ काटने में और पृथिवी के गोड़ने में जो सैकड़ों कीड़ों के मारने का पाप खेतीहर को लगता है—वह पाप यज्ञ करने से दूर हो जाता है।

खलिहान में अन्न के ढेर पर रहने वाला, यदि द्विजातियों के माँगने पर भी अन्न न दे, उसे चोरी करने और ब्राह्मण मारने का पाप लगता है।

खेत में जितना अन्न उपजे, उसका छठाँ हिस्सा राजा को, इकीसवाँ हिस्सा देवताओं को और ब्राह्मण को तीसवाँ हिस्सा देने से खेती करने वाला पाप से छूट जाता है।

क्षत्रिय भी खेती कर के ब्राह्मण और देवताओं की पूजा करे।

वैश्य और शूद्र खेती, व्यापार एवं कारीगरी का काम सदा करे।

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सेवा न कर के, यदि शूद्र दूसरा काम करे, तो वह अल्पायु हो कर, नरक में गिरता है।

चारों वर्णों के ये ही सनातन धर्म्म हैं।

तीसरा-अध्याय

अब जन्म-शौच और मरण-शौच का विधान लिखते हैं।

किसी घर वाले या कुटुम्बी के मरने पर ब्राह्मण तीन दिन लों अशौच (अशुद्ध) रहता है। क्षत्रिय को बारह दिन, वैश्य को पन्द्रह दिन और शूद्र को एक महीना लों मरने का सूतक लगा रहता है।

उपासना करने से ब्राह्मणों की अङ्ग-शुद्धि होती है।

घर में अथवा कुटुम्ब में बालक उत्पन्न होने पर भी सूतक लगता है। इस सूतक में ब्राह्मण को छू सकते हैं।

जन्म के सूतक से ब्राह्मण दस दिन, क्षत्रिय बारह दिन, वैश्य पन्द्रह दिन और शूद्र एक महीने बाद शुद्ध होता है।

जो अग्नि-होत्री हैं और जो वेद को पढ़ते हैं—ऐसे ब्राह्मणों को केवल एक ही दिन का सूतक लगता है।

जो ब्राह्मण गुरु से वेद नहीं पढ़ते, किन्तु वेद के अर्थ को विचारा करते हैं—ऐसे ब्राह्मण को केवल तीन दिन के लिये सूतक लगता है।

जो ब्राह्मण न तो अग्नि-होत्र ही करते हैं और न गुरु से वेद ही पढ़ते हैं, उनको दस दिन तक सूतक लगा रहता है।

जो ब्राह्मण जन्म और कर्म्म दोनों से गये बीते हैं और जो ब्राह्मण सन्ध्योपासन, गायत्री का जप तथा तर्पण आदि नहीं करते ऐसे गये बीते, नामधारी ब्राह्मणों को भी दस ही दिन का सूतक लगता है।

एक घर में रहने वाले, एक ही पुरुखे के सन्तान, यदि जुदे हो कर अलग अलग रहने लगें, तो ऐसे ब्राह्मणों को भी दस दिन तक सूतक मानना चाहिये। एक पुरुखे के सन्तान को 'सपिण्ड' भी कह सकते हैं।

जिसको दस दिन का, मरने अथवा जन्म लेने का सूतक लगा हो, उसका अन्न न खाना चाहिये।

सूतक के दिनों में दान का देना, दान का लेना, होम करना और वेद का पढ़ना मना है।

एक वंश में चार पीढ़ी तक, पूरा पूरा सूतक लगता है।

अपने वंश में पाँचवीं पीढ़ी में पहुँच कर दाय-भाग (बट-वारे) का अधिकार जाता रहता है।

चार पीढ़ी तक दस दिन, पाँचवीं पीढ़ी में छः दिन, छठवीं पीढ़ी में चार दिन और सातवीं पीढ़ी में छः दिन का सूतक मानना चाहिये।

पाँच पीढ़ी के भीतर का सगोत्री कुटुम्बी, श्राद्ध में भोजन नहीं कर सकता।

छठवीं पीढ़ी का और छठवीं पीढ़ी से उधर का सगोत्री श्राद्ध में भोजन कर सकता है।

छः पीढ़ी से उधर का कोई सगोत्री पातकी हो कर, आग में जल कर और परदेश में जा कर मर जाय, तो ऐसी मृत्यु होने पर, सूतक वाले तुरन्त शुद्ध हो जाते हैं।

यदि मरने के दस दिन बाद ऐसे मनुष्य के मरने का समाचार मिले, जिसका सूतक अपने को लग सकता है, तो सुनने के दिन से ले कर तीन दिन के भीतर शुद्धि हो जाती है।

यदि मरने के एक साल बाद किसी कुटुम्बी के मरने का समाचार मिले, तो सवस्त्र (जिन कपड़ों को पहिने हुए ऐसा समाचार सुने उन कपड़ों समेत) स्नान कर डालने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है।

यदि कोई सगोत्री परदेश में मरे, तो उसके मरने का समाचार सुन कर, केवल स्नान करने ही से शुद्धि हो सकती है। इस दशा में तीन रात्रि का सूतक नहीं लगता।

मृत्यु के छः महीने बाद मरने का समाचार सुनने से आधे दिन का सूतक लगता है।

एक वर्ष के भीतर सुनने से एक दिन का सूतक और एक वर्ष बीत जाने पर सुनने से, तुरन्त शुद्धि हो जाती है।

यदि बालक जन्म लेते ही मर जाय या दाँत निकलने के पहिले मर जाय, तो न तो उसकी दाह क्रिया करनी चाहिये और न उसके मरने का सूतक ही लग सकता है।

अगर बालक गर्भ ही में मर जाय, या गर्भ गिर जाय, तो जितने दिनों बालक गर्भ में रहा हो, या जितने दिनों का गर्भ गिरा हो, उतने ही दिनों का स्त्रियों को सूतक लगता है।

चार महीने के भीतर यदि गर्भ गिर जाय, तो उसे 'गर्भ का गिरना कहते' हैं।

पाँचवे और छठे महीने में गर्भ गिरने से भी गर्भ-पात ही कहलाता है।

इसके बाद गर्भ नष्ट होने से प्रसव (जन्म) कहलाता है। इस दशा में दस दिन का सूतक मानना चाहिये।

ठीक समय पर यदि बालक उत्पन्न हो और जीवित रहे, तो गोत्र-मात्र को सूतक लगता है और यदि बालक मर जाय, तो केवल माता ही को जन्म सूतक लगता है।

सूर्य्य निकलने के पहिले यदि कोई मरे या जन्मे, या स्त्री रजस्वला हो तो वह दिन भी दिनों की गिनती में गिन लिया जायगा।

दाँत निकलने और चूडाकरण संस्कार (मुण्डन) हो चुकने पर यदि बालक मर जाय, तो उस बालक का दाह कर्म करना चाहिये और उसका सूतक भी तीन दिन का होगा।

यदि बालक के दाँत न निकले हों और वह मर जाय, तो उसका सूतक नहीं लगता और यदि मुण्डन होने के पहिले मर जाय तो एक दिन का सूतक लगता है।

यदि यज्ञोपवीत होने के पहिले बालक मरे तो तीन दिन का सूतक लगता है और यज्ञोपवीत-संस्कार हो चुकने पर दस दिन का सूतक लगता है।

जन्म के बाद मुण्डन और अन्न-प्राशन (जूठा) के पहिले ही यदि कन्या मर जाय, तो उसके पिता के भाई बन्धु, मरने का समाचार सुनते ही तुरन्त शुद्ध हो जाते हैं।

यदि कन्या, विवाह होने के पहिले मरे तो एक दिन का सूतक लगता है और विवाह होने के बाद मरे तो तीन दिन का सूतक लगता है।

जिस घर मे ब्रह्मचारी हवन करते हों और किसी के साथ संसर्ग न रखते हों—उनको सूतक नहीं लगता।

ब्राह्मण केवल संसर्ग (छुआ-छूत) ही से दूषित होते हैं। उनके दूषित होने का दूसरा कोई कारण नहीं है।

संसर्ग-रहित होने से ब्राह्मणों को जन्म-सूतक और मृतक-सूतक नहीं लगता।

शिल्पी, कारीगर, वैद्य, नौकरानी, नौकर, नाई, श्रोत्रिय ब्राह्मण और राजा—ये सब भी तुरन्त (सद्यः) शुद्ध हो जाते हैं।

साथ पढ़ने वाले, मंत्र द्वारा शुद्ध हुए, अग्नि होत्री ब्राह्मण, राजा और राजा जिसको बहुत चाहते हों—उनको जन्म का सूतक नही लगता।

मरने के लिये तय्यार, दान देने के लिये तय्यार और नोति-हार, समय पर शुद्ध हो सकते हैं।

गृह में हवन करने वाला ब्राह्मण यदि सूतिका-गृह को न छुए, तो वह स्नान कर के शुद्ध हो सकता है।

प्रसूतिका-स्त्री (जच्चा) दस दिन में शुद्ध होती है।

माता पिता तथा अन्य नातेदारों के मरने पर दस दिन का सूतक लगता है।

बालक के जन्म का सूतक केवल माता ही को लगता है। पिता केवल स्नान मात्र ही से शुद्ध हो जाता है।

ब्राह्मण चाहे भले ही छओ अङ्ग सहित वेद का जानने वाला हो, पर यदि वह सूतिका-गृह में अपनी स्त्री को जा कर

छूले, तो उसे भी अवश्य सूतक लग जायगा। क्योंकि ब्राह्मणों के छूने ही से (संसर्ग) सूतक लगता है और किसी तरह नहीं।

इस लिये ब्राह्मण को चाहिये कि वह छुआ-छूत से बचा रहे।

विवाह, उत्सव तथा यज्ञादि में यदि किसी वस्तु के देने का संकल्प हो चुका हो और उस समय यदि सूतक लग जाय, तो संकल्प की हुई वस्तु दी जा सकती है। ऐसे दान में अशौच-दोष नहीं होता।

एक सूतक पूरा नहीं हो पाया, तब तक बीच ही में यदि दूसरा सूतक लग जाय तो पहिले दस दिन वाले सूतक के अन्त होने ही से, पिछला सूतक भी छूट जाता है।

ब्राह्मण और क़ैदी जो गौ को बचाने के लिये मरें और जो रण-भूमि में मरें—उनका केवल एक दिन का सूतक मानना चाहिये।

योगी और युद्ध में सामने मरने वाले सूर्य्य-मण्डल को फोड़ कर परलोक को जाते हैं।

शत्रुओं से घिर कर, जो वीर-पुरुष घायल हो कर भी शत्रु की विनती न करता हुआ मरता है, वह उस लोक में जाता है, जहाँ जाने से पुण्य-फल का कभी नाश नहीं होता।

जो शूरवीर युद्ध में मारे जाते हैं वे स्वर्ग में जा कर, सुख भोगते हैं और जो जीतते हैं, उन्हें धन मिलता है।

यह शरीर पलक मारते नष्ट होता है, रण-क्षेत्र में पैर रख कर, शूरवीर इस शरीर की चिन्ता नहीं करते।

युद्ध में छिन्न भिन्न हो कर, जब सेनायें भागने लगें तब भी जो उनकी रक्षा करता है–उसे यज्ञ करने का फल मिलता है।

संग्राम में भाला, तीर, तलवार आदि से जो घायल होते हैं, उनका यश देवताओं की कन्याएँ गाती हैं और उन पर वे मोहित हो जाती हैं।

रण क्षेत्र में जो वीर घायल होते हैं–उनकी ओर देव-कन्या और नाग-कन्या यह कहती हुई दौड़ती हैं कि—"ये मेरे पति हों।"

रण-क्षेत्र में जिस वीर के माथे में घाव लगता है, उस घाव से जो लोहू बह कर मुँह में आता है—वह लोहू नहीं है। वह तो समर-यज्ञ का सोम रस है।

यज्ञ, तप और विद्या द्वारा ब्राह्मण मरने पर, जिस लोक में जाते हैं, धर्म्म-युद्ध में प्राण छोड़ने वाले वीर पुरुष भी मरने पर उसी लोक में पहुँचते हैं।

जो लोग उस ब्राह्मण की लोथ को, जो अनाथ है—जिसका कोई इस ससार में नहीं है, श्मशान में ले जाते हैं; उन्हें बिना किये पद पद पर यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है।

जो ब्राह्मण अपने गोत्र का नहीं है, अथवा अपना मित्र नहीं है, उसके शव को श्मशान पहुँचाने पर, प्राणायाम करने से देह शुद्ध हो जाती है। ऐसा करने से ब्राह्मणों के शुभ कार्य्यों में किसी तरह की बुराई पैदा नहीं होती। कहा है जल में स्नान करने ही से वे शुद्ध हो जाते हैं।

अपने कुटुम्ब के हों अथवा बाहिरी हों, जाति वाले हों अथवा न हों, उनके सब के पीछे पीछे जाने पर, स्नान से, अग्नि के छूने से और घी के खाने से अन्त में लोग शुद्ध हो जाते हैं।

यदि ब्राह्मण अनजाने क्षत्रिय की लोथ के साथ जाय, तो उसे एक दिन का सूतक लगता है और पञ्चगव्य (गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और गोदधि को मिलाने से पञ्चगव्य बनता है) पीने से वह शुद्ध होता है।

यदि ब्राह्मण किसी वैश्य के शव के साथ जाय, तो उसे तीन दिन का सूतक लगता है और प्राणायाम करने से वह शुद्ध होता है।

जो अल्पज्ञानी ब्राह्मण, शूद्र के मुर्दे को ढोवे तो भी उसे तीन दिन का सूतक लगता है।

तीन रात बीतने पर, ऐसे ब्राह्मण जा कर समुद्र-वाहिनी किसी नदी में स्नान कर के एक सौ बार प्राणायाम करें और घी खाँय।

धर्म्म जानने वालों का कहना है कि शूद्र लोग जब तक किसी जलाशय (नदी या तालाब) के किनारे लौट कर न हो आवें, अर्थात् जब तक स्नान कर के वे शुद्ध न होलें तब तक ब्राह्मण उन शूद्रों के साथ न जाय।

ब्राह्मण को शूद्र की लोथ का छूना और उसका जलाना मना है।

शूद्र की लोथ को यदि ब्राह्मण अपनी आँखों से देख ले, तो सूर्य्य के दर्शन कर के, वह शुद्ध हो जाता है। यही पुरानी चाल है।

चौथा-अध्याय

अति मान, अति क्रोध, अथवा भय से फांसी लगा कर, जो स्त्री अथवा मनुष्य प्राण-त्याग (आत्म-हत्या) करते हैं उनकी जो गति होती है, अब उसे कहते हैं।

फाँसी लगा कर आत्म-हत्या करने से जीव, पीव और लोहू से भरे और घने अन्धेरे में डुबोये जाते हैं और उसमें उन्हें साठ, हज़ार वर्ष तक पड़े पड़े नरक भोगना पड़ता है।

जो स्त्री अथवा मनुष्य फाँसी लगा कर, मर जाता है, उसका अग्नि-संस्कार (दाह-क्रिया) और जल से तर्पण नहीं करना चाहिये।

ऐसों का न तो सूतक मनाना चाहिये और न ऐसों के लिये रोना ही चाहिये।

प्रजापति भगवान की आज्ञा है कि जो फाँसी लगा कर, मरे हुओं के मृत शरीर को श्मशान तक ले जाते हैं, जो ऐसों का अग्नि-संस्कार करते हैं और जो ऐसों के गले से फाँसी की रस्सी

बोलते हैं वे तप्तकृच्छ्र[१] नामी प्रायश्चित्त कर के शुद्ध होते हैं।

जिन्हें गौ अथवा ब्राह्मण ने मार डाला हो अथवा जो फांसी लगा कर, मर गया हो, उसके शव को जो ब्राह्मण छूता है या जो उसे ढोता है और उसका अग्नि-संस्कार करता है, या उसके पीछे पीछे श्मशान तक जाता है—वह तप्तकृच्छ्र व्रत और ब्राह्म-भोज करने से शुद्ध होता है। ऐसे लोगों को चाहिये कि वे बैल (सांड़) सहित गोदक्षिणा ब्राह्मण को दें। फिर तीन दिन गर्म जल, तीन दिन गर्म दूध और तीन दिन गर्म घी पीए तथा तीन दिन तक वायु पी कर रहें।

जो ब्राह्मण इच्छा न रहते भी पतितों के साथ भोजन करते हैं और उनके साथ व्यवहार रखते हैं—वे उनके साथ पाँच दिन, दस दिन, बारह दिन, पन्द्रह दिन, एक महीना, दो महीना, छः महीना, एक साल या एक साल से अधिक सम्बन्ध रखने से आप भी पतित हो जाते हैं।

अगर एक पक्ष तक पतितों के साथ आहार व्यवहार करे तो तीन रात, दो पक्ष में कृच्छ्र-व्रत, तीन पक्ष में कृच्छ्रसान्तपन व्रत, चार पक्ष में दश रात्रि-व्रत, पाँच पक्ष में पराक[२]-व्रत, छठवें पक्ष में चन्द्रायण-व्रत, सातवें पखवारे में दो चन्द्रायण-व्रत और आठवे पखवारे में छः महीने का कृच्छ्र-व्रत करना चाहिये।

इससे अधिक पक्ष लों पतितों के साथ खान पान करने से, जितने पक्ष पतितों के साथ खाय पिये उतनी ही मुहरें दान करे।

---

१ याज्ञवल्क्य-स्मृति अध्याय ३ श्लोक ३१८ में लिखा है कि तीन तीन दिन तक गर्म जल, दूध और घी पिये और तीन दिन लों गर्म हवा पी कर रहना 'तप्तकृच्छ्र' प्रायश्चित्त कहलाता है। २ "द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः"

जो मनुष्य अपनी सती साध्वी स्त्री को छोड बैठते हैं, उन्हें सात जन्म लों स्त्री का जन्म धारण कर, बार बार विधवा हो कर, दुःख भोगना पडता है।

स्वामी यदि दरिद्र हो, बीमार रहता हो, या मूर्ख हो—यदि उसको स्त्री उसका अनादर करे तो वह मरने पर साँपिन होती है और बारम्बार विधवा हुआ करती है।

पुत्र चार प्रकार के होते हैं। जैसे १ औरस, २ क्षेत्रज, ३ दत्तक और ४ कृत्तिम।

माता व पिता जिस पुत्र को दूसरे को दे देते हैं, उसका नाम दत्तक है।

जेठे भाई के अविवाहित रहते जो विवाह कर लेते हैं और अग्नि-होत्री बन जाते हैं उनको 'परिवेत्ता' कहते हैं और अविवाहित ज्येष्ठ भाई को 'परिवित्ति' कहते हैं।

जो जेठे भाई के रहते छोटे भाई का विवाह करवा दें, तो छोटे भाई को दो कृच्छ्र, जिसका व्याह छोटे भाई के साथ हुआ हो—उस कन्या को एक कृच्छ्र, कन्या दाता को कृच्छ्रातिकृच्छ्र और विवाह कराने वाले पुरोहित को चान्द्रायण-व्रत करना चाहिये। तब वे सब शुद्ध होते हैं।

यदि जेठा भाई कुबड़ा, बौना, नपुंसक, पागल, मूढ़, जन्म का अन्धा, बहरा, गूँगा हो, तो उसके अविवाहित रहने पर भी यदि छोटे भाई का ब्याह कर दिया जाय तो कोई पाप नहीं।

यह नियम सगे भाइयों के लिये है। चचेरे अथवा और तरह के भाइयों के लिये नहीं।

शङ्ख मुनि का मत है कि यदि बड़ा भाई अपना विवाह न करना चाहे, तो छोटा भाई उसकी अनुमति ले कर, अपना विवाह कर सकता है।

जिस पुरुष के साथ किसी कन्या की सगाई हो गयी हो और वह सगाई होने के बाद त्यागी हो जाय अथवा नपुंसक हो जाय, या पतित हो जाय, तो ऐसी दशा में उस कन्या का दूसरे पुरुष के साथ विवाह हो सकता है।

पति के मर जाने पर, जो स्त्री ब्रह्मचर्य्य से रहती है, वह मरने पर, जिस लोक में ब्रह्मचारी जाते हैं, उसी में जाती है।

पति के मरने पर, जो स्त्री सती होती है, वह साढ़े तीन करोड़ (मनुष्य के शरीर में इतने ही रोंगटे हुआ करते हैं) वर्ष लों स्वर्ग में रहती है।

जैसे सपेरे बिल से साँप को ज़बरदस्ती खींच लेते हैं, वैसे ही अपने स्वामी के साथ मरी हुई स्त्री, पति को ज़बरदस्ती खींच कर स्वर्ग में ले जाती है और अपने पति का उद्धार करती है।

पाँचवाँ-अध्याय

यदि किसी ब्राह्मण को, कुत्ता, भेड़िया, या गीदड़ (शृगाल) काट ले, तो उस ब्राह्मण को चाहिए कि वह स्नान करे और वेद-माता गायत्री का जप करे। ऐसे ब्राह्मण को गौ के सींग से पवित्र किये हुए जल से, या किसी महा-नदियों के सङ्गम के जल से स्नान करना चाहिये और समुद्र के दर्शन करने चाहिये। ऐसा करने से वह ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है।

वेद अथवा किसी भी विद्या की या किसी बात की समाप्ति के बाद, यदि किसी ब्राह्मण को कुत्ता काट ले, तो वह ऐसे जल से स्नान करे, जिसमें सोने की कोई वस्तु छुला दी गई हो। स्नान के बाद उसे घी भी खाना चाहिये। ऐसा करने से वह ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है।

'यदि व्रत समाप्ति के पहिले ही ब्राह्मण को कुत्ता काट ले, तो व्रतधारी ब्राह्मण को तीन रात कड़ाका कर दिन में घी और कुए का पानी पी कर व्रत को पूरा करना चाहिये। व्रत को अधूरा कभी न छोड़ना चाहिये।'

व्रत करने वाले या न करने वाले किसी प्रकार के ब्राह्मण को यदि कुत्ता काट ले, तो वह ब्राह्मण तीन ब्राह्मणों को प्रणाम करे और उन तीनों को अपना घाव दिखलावे। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जायगा। अर्थात् उसे कुत्ते के काटने का असर न होगा।

यदि किसी का शरीर कुत्ता सूँघ ले, या काट ले, या पञ्जा मार दे, तो उस सूँघे हुए या काटे हुए या पञ्जा लगे हुए स्थान को पानी से धो डाले या उस जगह को आग से जला दे। (आज कल कुत्ते की काटी हुई जगह कास्टिक से जलायी जाती है) ऐसा करने से शरीर शुद्ध हो जाता है।

यदि किसी ब्राह्मणी को कुत्ता या गीदड़ काट ले, तो वह चन्द्रमा या आकाश के अन्य तारों को देखने से शुद्ध हो जाती है।

अन्धेरे पाख में जब चन्द्रमा न दिखलायी पड़े, तब ज्योतिष के हिसाब से उस दिन जिस दिशा में उसकी चाल पड़ती हो— उस दिशा को देखने से ब्राह्मणी शुद्ध हो जाती है।

यदि ब्राह्मण को किसी ऐसे गाँव में कोई कुत्ता काटे, जिसमें दूसरा ब्राह्मण न मिले, तो वह स्नान कर के पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से तुरन्त शुद्ध हो जाता है।

यदि किसी अग्नि-होत्री (साग्निक) ब्राह्मण को कोई गौ मार डाले, या किसी ब्राह्मण को कोई चाण्डाल या राजा मार डाले या मारवा डाले, तो ऐसों के शव की दाह क्रिया साधारण अग्नि से करनी चाहिये। अर्थात् ऐसों की लोथें मामूली अग्नि में जला देनी चाहिये। मन्त्र सहित, विधि पूर्वक ऐसों का अग्नि-संस्कार न होना चाहिये।

यदि कुटुम्ब के लोग ऐसे शव को उठा कर, श्मशान तक ले जांय और उसका संस्कार करें तथा उसे छुएँ, तो उन कुटुम्ब वालों को प्राजापत्य व्रत करना चाहिये।

फिर किसी ब्राह्मण की अनुमति ले कर, उस आदमी की लोथ को जलाने वाले अग्नि को दूध से बुझाना चाहिये। इसके बाद उस मनुष्य की हड्डियों को अग्नि-होत्र के अग्निसे, मंत्र पढ़ कर, जलाना चाहिये।

यदि कोई अग्नि-होत्री विदेश में मर जाय तो उसके शव को उसके अग्नि-होत्र के अग्नि से जलाना चाहिये।

अग्नि-होत्री के शव की दाह-क्रिया की विधि

पहिले कुश और मृगछाला बिछावे। उस पर कुश की एक मनुष्य की आकृति (शक्ल) बना कर रखे।

फिर सात सौ पलाश नाम के पेड की टहनियाँ लावे। इन सात सौ में से ४० टहनियाँ मरे हुए अग्नि होत्री ब्राह्मण के शव के मस्तक पर रखे। साठ कण्ठ पर, सौ दोनों बाहों पर, दस दस दोनों हाथों पर, सौ छाती पर, तीस पेट पर, कमर के नीचे पीठ पर दोनों ओर आठ, आठ, टुड्डी के नीचे पाँच, दोनों जाङ्घों पर इक्कीस इक्कीस, दोनों घुटनों और दोनों पिंडुलियों पर बीस बीस और दोनों पैरों की अङ्गुलियों के पास पचास पचास पलाश के पेड़ की टहनियाँ और पलाश के पत्ते भी रखने चाहिये।

कमर के बीच दोनों ओर समी का अरणी बना कर रख देनी चाहिये। दहिने हाथ में स्रुवा, बायें हाथ में उपसद्द, कान में

ऊखल, पीठ पर मूसल, छाती पर पत्थर, मुँह में चावल और घी और तिल रख दे। फिर कान में प्रोक्षिणी और दोनों आँखों पर आज्यस्थली (घी रखने का काठ का बना बर्तन) रख दे; कान, आँख, मुख, नाक में सोना डाल दे।

पीछे से मरे हुए अग्नि-होत्रि का बेटा, भाई अथवा अन्य कोई, जो स्वधर्मी हो—"असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा" मंत्र को पढ़ पढ़ कर, घी की आहुति दे।

जो पण्डित हैं और जिन्हें इस कर्म्म-काण्ड का रहस्य (भेद) मालूम है, वे विधि के अनुसार कार्य्य करते हैं। क्योंकि विधि-पूर्वक अग्नि-संस्कार करने से मरे हुए अग्नि-होत्री को परम-गति मिलती है। *किन्तु जो लोग शास्त्र की विधि को छोड़ कर, मन*-मानी विधि से काम करते हैं, वे स्वयं अल्पायु, कम उम्र वाले होते हैं और मरने पर नरक में गिरते हैं।

छठवाँ-अध्याय

अब आगे प्राणियों की हत्या से छुटकारा पाने का उपाय लिखा जाता है।

हंस, सारस, बगुला, चकई-चकवा, मुरग़ा, बतख़ और सामा को मारने वाले को एक रात्रि और एक दिन उपवास करना चाहिये। ऐसा करने से इन पक्षियों के मारने की हत्या छुट जाती है।

बगुलों, टिटिहरी, तोता, कबूतर, मुरग़ाबी और बगला की हत्या करने पर, दिन भर उपवास करे और रात में भोजन करे, तो हत्या के पाप से मनुष्य छुट जाता है।

भास (एक प्रकार का मुरग़ा) कौआ, कबूतर, मैना और तीतरी को मारने वाला सुबह शाम जल में खड़ा हो कर, प्राणायाम करने से शुद्ध होता है।

गीध, बाज, मोर, चकोर, चातक और उल्लू की हत्या करने वाला मनुष्य दिन में कच्चा अन्न चबा कर और रात्रि में हवा पी कर रहे तो शुद्ध होता है।

दादुर, चातक, कोयल, खञ्जन, लावा, शुक को मारने वाला दिन में उपवास करे और रात को खाय, तो वह शुद्ध होता है।

कारण्डव, चकोर, पिङ्गल, कुरा और भारद्वाज नाम के पक्षियों की हत्या करने वाला शिव की पूजा करने से शुद्ध होता है।

मेरुण्ड, स्येन, पारावत और कपिञ्जल नाम के पक्षियों को मारने वाले को दिन रात उपवास करना चाहिये। उपवास करने से वह हत्या से छुट जाता है।

न्योला, बिलाव, साँप, अजगर-साँप, गैंड़ा-साँप और कुत्ता को हत्या करने वाला लोहा दान करे और ब्राह्मण को तिल खिलावे तो वह हत्या से छुट जाता है।

साहिल, खरगोश, गोह, मछली और कछुआ के प्राण लेने पर चौबीस घण्टे बैंगन खा कर रहे तो हत्या से छुटे।

भेड़िया, स्यार, भालू और तेंदुआ को मारने वाला ब्राह्मण, तीन दिन तक हवा पी कर और तिल दान करने से शुद्ध होता है।

हाथी, बनैला बैल, घोडा, भैंसा और ऊँट के मारने वाले को सात रात्रि उपवास करना चाहिये फिर ब्राह्मण को सन्तुष्ट करने से हत्यारा शुद्ध हो जाता है।

मृगा, रुरुमृगा और शूकर (सुअर) का मारने वाला मनुष्य, हल से विना जोती हुई, जगह में उपजे हुए नाज को खा कर, चौबीस घण्टे रहे तो वह शुद्ध हो सकता है।

जो कोई कारीगर, कारु (कलपुर्जे बनाने वाला) शूद्र और स्त्री की हत्या करे, उसे दो प्राजापत्य व्रत ग्यारह वृष (बैल) दान करने चाहिये। तब वह शुद्ध होता है।

विना अपराध ही क्षत्रिय, या वैश्य को हत्या करने से दो अतिकृच्छ्र व्रत कर के बीस गोदान करने से पातक छुटता है।

यज्ञ करते हुए वैश्य और शूद्र को और क्रिया-हीन ब्राह्मण को मारने पर, चान्द्रायण व्रत करने से और तीस गौ दान देने से हत्या छुटती है।

यदि क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र अथवा और कोई जाति वाला, चाण्डाल को मार डाले तो वह आधा कृच्छ्र व्रत कर के शुद्ध हो सकता है।

यदि ब्राह्मण किसी चोर या भङ्गी को मार डाले तो वह चौबीस घण्टे उपवास कर के और प्राणायाम करने से शुद्ध हो जाता है।

यदि कोई ब्राह्मण चाण्डाल, अथवा भङ्गी के साथ बात चीत करे, तो वह ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण के साथ बात चीत करने से और गायत्री जपने से शुद्ध हो जाता है।

चाण्डाल के साथ एक बिस्तर पर सोने से, ब्राह्मण तीन रात उपवास करने से शुद्ध हो जाते हैं।

यदि ब्राह्मण चाण्डाल के साथ रास्ते में चले, तो गायत्री का स्मरण करने से वह पवित्र हो जाता है।

ब्राह्मण यदि चाण्डाल को देख ले तो शुद्ध होने के लिये उसे सूर्य्य का दर्शन करना चाहिये।

यदि चाण्डाल को ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र छूले, तो उसे कपड़ों सहित स्नान करना चाहिये।

यदि कोई ब्राह्मण चाण्डाल की गढ़इया का अनजाने पानी पी ले, तो वह एक रात और एक दिन-रात उपवास करने से शुद्ध हो सकता है।

जिस कुएँ में चाण्डाल का घड़ा पड़ता हो, उस कुए के जल को पीने वाले ब्राह्मण को तीन रात गो-मूत्र पी कर और जौ खा कर रहना चाहिये। ऐसा करने से वह शुद्ध होता है।

यदि कोई ब्राह्मण किसी चाण्डाल के बर्तन में अनजाने जल पी ले और यह बात उसी समय ज्ञात पड़ने पर, झट वमन (उल्टी) कर डाले; तो वह प्राजापत्य व्रत करने से शुद्ध हो जाता है।

और यदि पिये हुए पानी को न निकाल डाले और उसे पचा जाय, तो उसकी शुद्धि केवल प्राजापत्य व्रत ही से न होगी, बल्कि उसे कृच्छ्रसान्तपन व्रत भी करना होगा।

जिस प्रायश्चित्त में ब्राह्मण को सान्तपन व्रत करने की आज्ञा है, उसमें क्षत्रिय केवल प्राजापत्य करे, वैश्य को आधा और शूद्र को चौथा हिस्सा प्राजापत्य व्रत का करना चाहिये।

यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भूल से अन्त्यज (जो कई पीढ़ी से संस्कार भ्रष्ट चले आते हैं) जाति के बर्तन में जल, दही या दूध खा पी लें, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का, उपवास कर के ब्रह्मकूर्च व्रत करने से, पातक दूर होता है।

शूद्र केवल उपवास करके यथा-शक्ति दान करे तो वह शुद्ध हो जाता है।

यदि ब्राह्मण अनजाने चाण्डाल का अन्न खा ले, तो दस रात्रि केवल गो-मूत्र और जौ खाने से शुद्ध होता है।

इन दस दिनों में नित्य गो-मूत्र और जौ का एक ही एक कौर खा कर, व्रत पूरा करना चाहिये।

यदि किसी ब्राह्मण के घर में कोई चाण्डाल रहता हो और घरवालों को यह बात न मालूम हो तो ब्राह्मण उपसंन्यास

(इसकी विधि आगे दी गयी है) कर के उसका पाप छुटा देंगे।

उप-संन्यास का विधान

धर्म्म जानने वाले ब्राह्मणों के साथ दही, घी और दूध में तिल मिला कर खाय और दिन में तीन बार स्नान करे। फिर तीन दिन दूध के साथ, तीन दिन दही के साथ और तीन दिन घी के साथ गो-मूत्र में सने हुए तिलों को मिला कर खाय। बुरे और सड़े अन्न को न खाय। दही और दूध तीन पल (एक तरह का नाप) और घी एक पल भर खाय।

जिस अन्न को देख कर, मन बिगडे, जिस अन्न में कीड़े पड गये हों और जो जूंठा हो उसे न खाना चाहिये।

घर के तांबे और कांसे के बर्तन राख से मलने से शुद्ध हो जाते हैं। कपड़ा धोने से शुद्ध होता है।

मिट्टी के बर्तन एक बार काम में लाने पर, फिर दूसरी बेर काम योग्य नहीं रहते। उन्हें छोड देना चाहिये।

घर की सब वस्तुओं को शुद्ध कर के, घर के द्वार पर केसर, गुड़, कपास, नोन, तेल, घी और अन्न रख, आग लगा कर घर को जला दे।

जब ये सब शुद्ध हो जांय, तब उस घर में ब्रह्म-भोज करावे। फिर ब्राह्मण को तीस गौ और एक बैल दान करे।

उस स्थान को लीप पोत कर हवन और जप करावे। तब वह घर शुद्ध होगा। क्योंकि ब्राह्मण जहां बैठ जाते हैं, उस जगह कोई पाप नहीं रह जाता।

इसीका नाम 'उप-संन्यास' है।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के घर में अनजाने यदि धोबिन, चमारिन आदि अन्त्यज आजांय और पीछे मालूम हो, तो ऊपर कही हुई शुद्धि में जो विधान बतलाया गया है—उसका आधा करना चाहिये। केवल घर नहीं जलाना चाहिये।

यदि किसी के घर में चाण्डाल चला जाय, तो उस घर की सभी चीज़ों को निकाल कर फेंक दे। पर जिन बर्तनों में, घी, तेल आदि रस-द्रव्य हों—उनको न फेंकना चाहिये।

इन बर्तनों को पानी में दही मिला कर, भीतर बाहर धो डाले।

यदि किसी ब्राह्मण के घाव में कीड़े पड़ जांय—तो उसका यह प्रायश्चित्त है।

उस ब्राह्मण को तीन दिन तक—नित्य दही, दूध, घी, गो-मूत्र और गोबर से स्नान करावे और उन्ही पाँचों चीज़ों को पिलावे। ऐसा करने से कीड़े पड़ने से अशुद्ध हुआ ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है।

यदि क्षत्रिय के घाव में कीड़े पड़े हों, तो उसे पाँच माशे सोना दान करना चाहिये। यदि वैश्य हो तो वह एक गो-दान करे और एक दिन उपवास करे।

यदि शूद्र हो तो उपवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शूद्र पञ्च-गव्य पीने, ब्राह्मण को नमस्कार करने और दान देने से शुद्ध हो जाता है।

यदि ब्राह्मण को शूद्र नमस्कार[1] करे तो ब्राह्मण कहे—"अच्छिद्रमस्तु"; यह वाक्य पृथिवी के देवता मात्र को प्रसन्न कर देता है।

ब्राह्मण को नमस्कार करने पर वह जो आशीर्वाद दे, उसे माथे चढ़ाना चाहिये। ऐसा करने से नमस्कार करने वाले को 'अग्निष्टोम' यज्ञ करने का फल मिलता है।

यदि शूद्र किसी व्याधि से पीड़ित हो, तो उसे उपवास, व्रत और होम ब्राह्मण से करवाना चाहिये, या ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो कर, आप ही उसके सभी कामों को कर दें।

ब्राह्मण का आशीर्वाद लेने से सब धर्मों का फल मिलता है।

दुर्बल, बालक और बूढ़ों पर दया करना ब्राह्मणों का परम कर्त्तव्य है। इनको छोड़ कर औरों पर अनुग्रह करने से ब्राह्मण दोष का भागी होता है।

जो ब्राह्मण, ममता, लोभ, भय या अनजाने कुपात्र पर दया करता है, तो कृपा के योग्य पात्रों का सारा पाप; उस ब्राह्मण के सिर पर आ बैठता है।

जो ब्राह्मण हट्टे कट्टे पुरुष को नियमानुसार चलने की मनाई करते हैं, या जो ऐसे लोगों के बजाय, उनकी ओर से आप नियम पालन करते हैं, या जो ऐसा करने की विधि बतलाते हैं—वे ब्राह्मण नरक में पड़ते हैं।

---

१ जो समाज अपने को वैदिक और प्राचीन धर्म्मानुयायी मानता हो, उसे देखना चाहिये कि इस स्मृति में भी सब वर्णों के लिये आपस में अभिवादन का विधान अलग अलग रखा गया है। कोई वर्ण हो—आपस में 'नमस्ते' की प्रथा शास्त्र-विरुद्ध है और जो सनातन वैदिक-मत को मानने-वाले हैं, उन्हें इस निषिद्ध प्रथा पर कभी न चलना चाहिये।

जो लोग ब्राह्मण का अपमान करते हैं, वे व्रत और नियम को पालन करने के योग्य पात्र नही हैं। उनका उपवास करना निष्फल होना है। उनको इन अच्छे कर्मों का कुछ भी फल नहीं मिलता।

ब्राह्मण जिस काम को करने का जो विधान बतलावें, और वर्णों को उसी तरह करना चाहिये।

जो लोग ब्राह्मण का कहा नहीं मानते, उनको ब्राह्मण मारे का पाप लगता है।

जो लोग आप असमर्थ होने पर, उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ-दर्शन, जप और तपस्या, ब्राह्मण से करवाते हैं, उनके भी सब काम सफल होते हैं।

ब्राह्मण द्वारा कराये हुए शुभ कामों में व्रत-छिद्र (व्रतों के दोष) तप-छिद्र (तपस्या के दोष) और यज्ञ-छिद्र (यज्ञ सम्बन्धी कार्य्यों की भूल चूक) नहीं रहते। ब्राह्मणों के किये हुए ऐसे काम दोष-रहित होते हैं और कराने वाले को उनका फल भी मिलता है।

ब्राह्मण देवता उन तीर्थों में हैं जो उनके मानने वालों की सब मनोकामना पूरी करने हैं। उनके वचन रूपी जल ही से पापी आदमी पवित्र होते हैं।

ब्राह्मण के मुख से जो वाक्य निकलता है वह 'देव-वाक्य' है। ब्राह्मण सर्व-देव-मय हैं। उनका वचन कभी ख़ाली नहीं जाता।

ब्राह्मण यदि भोजन करते समय पैर पर हाथ रख कर भोजन करे, तो वह जूठन खाता है।

किसी के जूठे बर्तन में खाना भी जूठन खाना ही है।

जूते या खड़ाऊँ पहिन कर और बिछौनों पर बैठ कर भी न खाना चाहिये।

यदि भोजन करने की सामग्री को कुत्ता या चाण्डाल देख ले, तो उस अन्न को छोड़ दे। उसे न खाना चाहिये।

जिस अन्न को कौआ और कुत्ता जूठा कर दें अथवा गौ या गधा उसे सूँघ ले और वह अन्न थोड़ा हो, तो उसे काम में न ला कर छोड़ देना चाहिये।

यदि अन्न अधिक हो तो उस सारे अन्न को न फेंके, बल्कि जिस जगह कौए और कुत्ते ने मुँह डाला हो, वहाँ का थोड़ा सा अन्न निकाल डाले। बचे हुए अन्न को सोने से छुए हुए जल के छींटे से शुद्ध कर, आग से गर्म कर डाले।

अग्नि और सोने के जल से छिड़का हुआ और ब्राह्मण के मुख से निकले हुए वेद मंत्रों से पवित्र किया हुआ अन्न, उसी दम खाने योग्य हो जाता है।

सातवाँ-अध्याय

काठ का वर्तन ऊपर से छील देने ही से शुद्ध हो जाता है।

यज्ञ में व्यवहार (इस्तेमाल) किये हुए वर्तन, केवल हाथ से पोंछ देने ही से शुद्ध हो जाते हैं।

चमस (वह वर्तन जिसमें डाल कर, यज्ञ करने वाले सेाम रस पीते हैं) और ग्रह (बाज़ार से मेाल ली हुई वस्तु) केवल धेाने ही से शुद्ध हो जाते हैं।

चरु और श्रुवा आदि यज्ञ करने के वर्तन गर्म जल से धेा डालने से शुद्ध होते हैं।

कांसे के और तांवे के वर्तन राख और खटाई से मल देने से शुद्ध होते हैं।

नदी के किनारे, नदी की धारा से पवित्र होते हैं।

स्त्री यदि खेाटी न हेा तेा वह मासिक-धर्म्म (रजस्वला) से शुद्ध होती है।

यदि किसी बावली, कुआ और तालाब का पानी दूषित हो गया हो तो उनमें का सौ घड़ा जल निकाल डालने से और बचे हुए जल में पञ्च-गव्य छोड़ देने से उनका जल शुद्ध हो जाता है।

आठ वर्ष की लड़की गौरी, नौ वर्ष की लड़की रोहिणी और दस वर्ष की लड़की रजस्वला कहलाती है[1]।

कन्या की उम्र बारह वर्ष की हो जाय और तब तक उसका विवाह न कर दिया जाय, तो उसके पिता के पुरखे * * * नरक में पड़ते हैं।

बिना ब्याही कन्या को रजस्वला देखने से, कन्या के पिता माता और बड़े भाई नरक में पड़ते हैं।

जो ब्राह्मण अनजाने ऐसी कन्या के साथ ब्याह करता है, उसे वही पाप लगता है जो शूद्र स्त्री के पति बनने से ब्राह्मण को लगा करता है।

ऐसे ब्राह्मण के साथ एक पंक्ति में बैठ कर न तो कोई भोजन करे और न उसके साथ किसी को बात चीत ही करनी चाहिये।

जो ब्राह्मण शूद्र-नारी के साथ एक रात भी, एक साथ और एक बिस्तरे पर रहे, उसे तीन साल तक भीख माँग कर, अन्न खाना चाहिये। ऐसे ब्राह्मण को गायत्री का जप भी करना चाहिये। ऐसा करने से वह शुद्ध होता है।

सूर्य्य के अस्त होने पर, यदि कोई ब्राह्मण चाण्डाल, पतित, या सूतिका (जच्चा) स्त्री को छूले, तो उसे अग्नि, सोना और चन्द्रमा के दर्शन कर के किसी ब्राह्मण के पीछे पीछे थोड़ी दूर जाना चाहिये। फिर वह स्नान करे। तब वह शुद्ध होता है।

---

1 इस श्लोक को बहुत से लोग शीघ्रबोध में देख कर प० काशीनाथ का रचा हुआ बतलाया करते हैं, किन्तु असल में यह श्लोक स्मृति का है।

यदि दो ब्राह्मण कन्या, रजस्वला होने पर, एक दूसरे को छूलें तो दोनों को तीन रात्रि निराहार रहना चाहिये। तीन रात्रि निराहार रहने से वे शुद्ध होती हैं।

यदि ब्राह्मण की कन्या ऊपर कही हुई अवस्था में किसी क्षत्रिय की कन्या को छूले, तो ब्राह्मण की कन्या आधा कृच्छ्र और क्षत्रिय-कन्या चौथाई कृच्छ्र व्रत करने से शुद्ध होती हैं।

इसी तरह यदि ब्राह्मणी और शूद्रा आपस में एक दूसरे से छू जावें, तो ब्राह्मणी पूरा कृच्छ्र व्रत करने से और शूद्रा केवल दान देने से शुद्ध हो जाती है।

रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करने से शुद्ध होती है।

जिस स्त्री को रजस्वला होने की बीमारी हो वह नित्य रजस्वला होने पर भी अपवित्र नहीं समझी जाती है।

रजस्वला स्त्री पहिले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन, ब्रह्म-हत्या दोष वाली, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। ऐसी स्त्री चौथे दिन पवित्र होती है।

यदि किसी ब्राह्मण को कुत्ता छू ले, या जूठे मुँह कोई शूद्र उसे छू ले, तो शुद्ध होने के लिये, उसे एक रात उपवास कर के पञ्चगव्य पीना चाहिये।

शूद्र यदि जूठे मुँह न हो और ब्राह्मण को छू ले, तो ब्राह्मण स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। किन्तु यदि शूद्र जूठे मुँह ब्राह्मण को छू ले, तो ब्राह्मण को प्राजापत्य व्रत करना होगा।

जिस काँसे के बर्तन में मदिरा रखी हो—वह आग में तपाने से शुद्ध होता है।

काँसे के बर्तन को यदि गौ सूँघ ले अथवा उसमें कुत्ता या कौआ मुँह डाल दे तो उसे दस बेर, क्षार से मलने पर, उस बर्तन की शुद्धि होती है।

जिस काँसे के बर्तन में किसी ने कुल्ला कर दिया हो, या पैर धोए हों, उसको छः महीने लों जमीन में गाड़ देने से शुद्धि होती है।

लोहे के बर्तन एक जगह से उठा कर, दूसरी जगह रख देने ही से शुद्ध हो जाते हैं।

शीशे के बर्तनों को आग से छुला देने से, वे शुद्ध हो जाते हैं।

दाँत, हड्डी, सींग, चाँदी, सोना, मणि और पत्थर के बर्तन जल में धोने ही से पवित्र हो जाते हैं।

अन्न मल कर, साफ कर देने ही से शुद्ध हो जाता है।

बहुत सा अन्न, या बहुत से कपड़े यदि अशुद्ध हो जाँय, तो उन पर जल का छींटा देने से वे शुद्ध हो जाते हैं।

अगर नाज या कपड़े थोड़े हों तो उन्हें धो डालना चाहिये।

बाँस के बने वस्त्र, वल्कल, सूती, ऊनी और रेशमी कपड़े जल से धो डालने पर शुद्ध हो जाते हैं।

तोशक, तकिया, आदि लाल और पीले रङ्ग के कपड़े धूप में सुखा कर, धो देने ही से शुद्ध हो जाते हैं।

मूञ्ज, झाड़ू, सूप, और अन्न पर धार रखने का पहिया, चमड़ा, तृण, काठ आदि और बाँधने का रस्सा—ये सब पदार्थ जल से धो डालने पर शुद्ध हो जाते हैं।

बिल्ली, मक्खी, कीट, पतङ्ग, सूँडी और मेढ़क, सदा पवित्र और अपवित्र वस्तुओं को छुआ करते हैं। इनके छूने से कोई वस्तु अपवित्र नहीं होती। यह बात मनु भगवान ने भी मानी है।

जो जल ज़मीन से छू कर बहा हो और जो पानी दूसरे पानी में जा मिला हो, वह जल यदि किसी का जूठा भी हो, तब भी वह शुद्ध ही गिना जायगा।

पान, ईख, ऐसा फल, जिससे तेल निकले; (बादाम आदि) मधुपर्क और सोमरस, ये सब उच्छिष्ट (जूठे) नहीं होते।

रास्ते की कीचड़, जल, नौका, तृण और पकी हुई ईटें—हवा और धूप के लगने से शुद्ध हो जाती हैं।

वायु से उड़ी हुई धूल और हवा से फैली हुई जल की धार अपवित्र नहीं होती।

छींकने, थूकने अथवा किसी अङ्ग मे हाथ लग जाने, या अनजाने कोई झूठी बात कहने पर, या किसी पतित के साथ बात चीत करने पर, दहिना कान छू लेना चाहिये।

इसका कारण यह है कि अग्नि, जल, वेद, इन्द्र, सूर्य्य और वायु ब्राह्मण के दहिने कान में सदा बसा करते हैं।

मनु जी ने कहा है कि प्रभास आदि तीर्थ और गङ्गा आदि पवित्र नदियाँ ब्राह्मणों के दहिने कान के पास सदा ही रहती हैं।

देश में गड़बड़ी होने पर, अकाल पड़ने पर, विदेश में या शरीर के किसी अङ्ग में पीड़ा होने पर, विपत्ति पड़ने पर, मनुष्य

को चाहिये कि पहिले अपनी देह की रक्षा कर ले। पीछे कोई काम करे[१]।

विपत्ति पड़ने पर, कड़ाई के साथ या दीन बन कर—जैसे बने वैसे इस दीन आत्मा का उद्धार करे। पीछे जब समर्थ हो, तब धर्म्म का अनुष्ठान कर ले।

जिस समय विपत्ति आवे, उस समय शौचाचार पर ध्यान न दे। विपत्ति में सब से पहिले अपने आत्मा की रक्षा करनी चाहिये। स्वस्थ हो जाने के बाद, धर्म्म का अनुष्ठान कर लेने से काम चल जाता है।

१ देशभङ्गे प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वपि।
रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चाद्धर्मं समाचरेत्॥
अ० ७ श्लोक ४१

आठवाँ-अध्याय

अगर बंधे बंधे या जोतने में बैल मर जाय, तो बैल के मालिक को चाहिये कि वह ब्राह्मणों की पञ्चायत के सामने जाकर, अपने मन का सन्देह मिटा ले।

यदि पापी ने पाप किया हो और यह बात उसे जंच जाय, तो उसे पञ्चायत में जाने के पहिले भोजन कभी न करना चाहिये। यदि वह ऐसा करे तो उसका पाप दूना बढ़ जाता है।

"मैंने पाप किया है" यदि किसी को इस तरह का सन्देह उत्पन्न हो, तो जब तक पाप करने न करने की बात तय न हो जाय, तब तक उसे भोजन न करना चाहिये।

ऐसे आदमी को भूल में पड़ कर, यह न मान लेना चाहिये कि मुझसे यह पाप नहीं बना। क्योंकि भ्रम से किसी बात का सिद्धान्त नहीं हो सकता।

पाप कर के उसे किसी तरह छिपाना ठीक नहीं। क्योंकि पाप छिपाने वाले का पाप बढ़ता है।

चाहे पाप भारी हो, चाहे हलका, पाप करने वाले को—अपना पाप-कर्म धर्म जानने वालों को अवश्य जतला देना चाहिये।

जैसे चतुर वैद्य, रोगी का रोग दूर कर देते हैं, वैसे ही धर्म्म जानने वाले, पापी के पाप को दूर करने का उपाय बतला देते हैं। फिर प्रायश्चित्त करने से लज्जाशील (शर्मदार) सत्य में निष्ठा रखने वाला और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति तुरन्त प्रायश्चित से शुद्ध हो जाता है।

क्षत्रिय अथवा वैश्य, यदि कोई ऐसी जगह पाप करे, जहाँ प्रायश्चित्त बतलाने वाले हों, तो उन्हें झट स्नान कर के, भीगे कपड़े पहिने हुए ही चुपचाप प्रायश्चित्त बतलाने वालों के पास चला जाना चाहिये।

प्रायश्चित्त बतलाने वालों की जहाँ सभा लगती हो, वहाँ पहुँच कर पापी को धरती पर पसर कर साष्टाङ्ग (प्रणाम) करनी चाहिये। पापी सभा-गृह के सामने पड़ा रहे और कुछ कहे सुने नहीं।

जिन ब्राह्मणों ने न तो वेद पढ़ा, न गायत्री तथा सावित्री जानी, न सन्ध्योपासन ही सीखा और न अग्नि में हवन ही किया, किन्तु जो सदा खेती बारी में लगे रहे हैं—वे केवल नाम भर के ब्राह्मण हैं।

व्रत न रखने वाले और जप न करने वाले—केवल ब्राह्मणी वृत्ति से पेट भरने वाले ब्राह्मण अगर एक हजार भी मिल बैठें, तो भी वह धर्म्म सभा या परिषद् नहीं कही जा सकती।

ज्ञान से कोरे, धर्म्म को न जानने वाले ब्राह्मण जो कहते हैं और उनके इस अनर्थ से जो पाप होता है, वह सारा पाप उन

लोगों के मत्थे चढ़ता है जो ऐसे मूर्खों के ‘हने’ को कहते फिरते हैं, या प्रचार करते कराते हैं।

धर्म्म-शास्त्र का मर्म जाने बिना जा ब्राह्मण किसी पापी को प्रायश्चित्त की व्यवस्था देता है, तो उस व्यवस्था (बतलायी हुई विधि) से उस पापी का पाप तो दूर हो जाता है, किन्तु उसका सारा पाप व्यवस्था देने वालों के सिर पर आ बैठता है।

वेद के अर्थ जानने वाले चार अथवा तीन ब्राह्मण जो कुछ नियम बनावें या व्यवस्था दें, वह धर्म्म के अनुसार व्यवस्था मानी जायगी[1]। इन लोगों के विरुद्ध वेद न जानने वाले हजारों आदमी बका करें, पर उनकी बात न मानी जायगी।

जो ब्राह्मण अपने कथन का प्रमाण दे सकते हैं, अर्थात् जो ब्राह्मण प्रमाण एकत्र कर के धर्म्म की व्यवस्था देते हैं, ऐसे बहुत जानने वाले लोगों से पाप डरा करता है।

जैसे पत्थर पर पड़ा हुआ जल, सूर्य्य की किरणों की गर्मी से धीरे धीरे सूख जाता है, उसी तरह वेद का अर्थ जानने वालों की परिषद् की आज्ञा से सारे पाप दूर हो जाते हैं।

ऊपर कही हुई विधि से प्रायश्चित्त बतलाने वाले और प्रायश्चित्त करने वालों को पाप का भागी नहीं बनना पड़ता।

सूर्य्य की किरणों की गर्मी और हवा के चलने से, जैसे जल सूख जाता है, वैसे ही प्रायश्चित्त करने से पाप का नाश होता है।

परिषद् में पाँच अथवा तीन ऐसे ब्राह्मण होने चाहिये, जो

---

१ चत्वारो वा त्रयो वापि यद्ब्रूयुर्वेद पारगाः।
स धर्म्म इति विज्ञेयो नेतरैस्तु सहस्रशः॥
अध्याय ८ श्लोक १५

वेद और वेद के अङ्गों को भली भाँति जानते हों और जो आहिताग्निः (अग्नि को रात दिन घर में रखने वाले) नहीं हैं।

जो मुनि है, जिसे आत्मा का पूरा पूरा ज्ञान हो गया है, जो आप यज्ञ करता है और दूसरों को यज्ञ कराता है, जो ईश्वर की आराधना किया करता है—यदि इन गुणों मे से युक्त एक भी ब्राह्मण धर्म्म परिषद् का सभ्य हो, तो उस एक के रहते भी वह धर्म्म परिषद् पूरी समझी जायगी।

पहले कह आये हैं कि वेद के जानने वाले पाँच ब्राह्मणों के इकट्ठा होने पर 'परिषद्' कहलावेगी, किन्तु ऊपर कहे हुए लक्षण वाले पाँच ब्राह्मण यदि न मिलें—तो परिषद् में ऐसा ब्राह्मण ही हो जो वेद चाहे भले न जाने, पर प्रायश्चित्त का विधान बतला सके और उसे आजीविका की चिन्ता न रहती हो।

इस नियम के विरुद्ध नाम मात्र के कोरे ब्राह्मण भले ही हज़ारों ही क्यों न जुड बैठें, पर वह धर्म्म परिषद् नही कही जायगी।

जैसे लकडी का बना हाथी और चमड़े का बना हिरन असली हाथी और हिरन नही कहा जाता, वैसे ही वेद वेदाङ्ग के ज्ञान से कोरा कुपढ मूर्ख ब्राह्मण असली ब्राह्मण नही है।

जैसे बिना जल वाला गाँव या कुआ किसी मतलब का नही, जैसे अग्नि बिना हवन व्यर्थ कहा जाता है, वैसे ही मंत्र न जानने वाला ब्राह्मण भी असार है।

कुपढ ब्राह्मण को दान देना वैसा ही है जैसा ऊसर भूमि में बीज बोना।

जैसे किसी चित्र में रङ्ग भरने से उस चित्र की शोभा फूट निकलती है, वैसे ही विधि के अनुसार संस्कार करने से ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व फूट निकलता है।

जो ब्राह्मण केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। यदि वे किसी को प्रायश्चित्त की विधि बतलावें, तो वे पापी ब्राह्मण मरने के बाद नरक में पड़ते हैं।

जो द्विज, वेद का पाठ करते हैं और पञ्च यज्ञ करते हैं—वे ही असल में तीनों लोकों के धारण करने वाले हैं।

जिस तरह मरघट की आग मंत्र से शुद्ध की जाने पर सब काम के योग्य हो जाती है, वैसे ही ज्ञान पा कर, ब्राह्मण भी सब कामों के योग्य हो जाते हैं।

जैसे सब तरह की मैली कुचैली वस्तु जल में फेंक कर और धो कर साफ़ कर ली जाती है, वैसे ही सारे पाप ब्राह्मण के बतलाये हुए प्रायश्चित्त से धो डालने चाहिये।

जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जानता वह शूद्र से भी गया बीता है और जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता है और ब्रह्म के तत्व को जानता है—वही सब से उत्तम है और सब का पूज्य है।

ऐसा ब्राह्मण यदि दुःशील (खोटा स्वभाव का) भी हो, तो भी वह पूजने योग्य है। पर शूद्र यदि बड़ा जितेन्द्रिय भी हो, तो भी वह न पूजा जायगा।

ऐसा कौन होगा जो नटखट और दुलत्तियाँ मारने वाली गौ को छोड़ कर, बड़ी सीधी गदही का दूध दुहने जायगा।

जो द्विज धर्म्म-शास्त्र रूपी रथ पर सदा सवार हो कर, वेद रूपी खड्ग को हाथ में लिये रहता है—वह हँसी में भी कोई बात कहे, तो और लोगों को उसे भी परम धर्म्म मानना चाहिये।

जो ब्राह्मण चारों वेदों का जानने वाला है, जिसका चित्त डांवा डोल नहीं है, जो वेद के अङ्गों को जानता है और धर्म्म को

समझता बूझता है—ऐसा यदि एक भी ब्राह्मण मिले—तो वह उस परिषद् से अच्छा है जिसमें ऐसे अनेक ब्राह्मण हों, जो वेद को जानते हैं, पर संसार के प्रपञ्च में फँसे हुए हैं।

राजा ब्राह्मण की अनुमति लिये विना किसी को प्रायश्चित्त की विधि नहीं बतलावेंगे।

ब्राह्मणों की बात न सुन कर, या उनसे विना पूँछे जो राजा अपने आप पापी को प्रायश्चित्त बतलाता है, तो उस पापी का पाप सौ गुना अधिक हो कर राजा के माथे पर आ बैठता है।

ब्राह्मणों को चाहिये कि वे किसी मन्दिर के सामने बैठ कर, पापी को प्रायश्चित्त बतलावें और प्रायश्चित्त बतलाने के पहिले गायत्री का जप कर लें।

मन में यदि कोई पाप या शङ्का उदय हो तो उसे भी पहिले मिटा लेनी चाहिये।

प्रायश्चित्त करते समय चुटिया समेत सिर के बाल मुड़वाना चाहिये। प्रायश्चित्त करने वाले को सुबह, दोपहर और शाम को सन्ध्या करनी चाहिये। प्रायश्चित्त करने वाले को रात्रि को गोशाला में सोना चाहिये और दिन में जिधर गऊ जाँय, उन्हीं के पीछे फिरना चाहिये।

अगर गर्मी, सर्दी बहुत अधिक हो, या तेज़ हवा चलती हो, या मूसला-धार पानी गिरता हो तो प्रायश्चित्त करने वाले को जहाँ तक बन पड़े गौओं की रक्षा करनी चाहिये। अपने शरीर की रक्षा पर ध्यान न देना चाहिये।

अपने घर का या दूसरे के घर का अन्न या चारा यदि गऊ खा ले, या उसका बच्चा दूध पी ले, तो गौओं को रोके नहीं।

गौ जब पानी पिये तब आप भी पानी पिये, जब वह सोवे तब आप भी सोवे। अगर गौ दलदल में फँस जाय, तो उसको जैसे बने वैसे निकाले। अपने प्राण जाने की चिन्ता न कर, गौ को निकाले।

जो गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिये प्राण देता है, वह ब्रह्म-हत्या के पाप से छूट जाता है।

यदि किसी ने गौ मार डाली हो तो उससे प्राजापत्य व्रत करवाना चाहिये।

प्राजापत्य व्रत को चार हिस्सों में बाँटना चाहिये। अर्थात् एक दिन केवल दिन में भोजन कर के रहे, फिर दूसरे दिन केवल रात्रि में भोजन कर के रह जाय। तीसरे दिन बिना माँगे जो कुछ मिल जाय, उसे खा कर बितावे और चौथे दिन केवल वायु पी कर रह जाय। इसीका नाम एक पाद प्रायश्चित्त है।

अब द्विपाद प्रायश्चित्त की विधि लिखी जाती है। पहिले दो दिन केवल एक बेर भोजन कर के रहे। इसके बाद दो दिन लों रात्रि में भोजन करे फिर दो दिन बिना माँगे जो मिले, उससे निर्वाह करे। अन्त में दो दिन लों हवा पी कर रहे।

त्रिपाद प्रायश्चित्त में, तीन दिन लों दिन में भोजन करे, तीन दिन तक रात्रि में खाय, तीन दिन बिना माँगे जो मिले, उससे निर्वाह करे और तीन दिन वायु पी कर काटे।

जिसे पूरा (पूर्ण) प्रायश्चित्त करना हो—वह चार दिन तक दिन में भोजन करे। फिर चार दिन तक रात्रि में भोजन करे। फिर चार दिन बिना माँगे जो मिले, उससे दिन बितावे और चार दिन तक वायु पी कर रहे।

ऊपर कही हुई विधि के अनुसार प्रायश्चित्त कर चुकने पर ब्रह्म-भोज अर्थात् ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे।

फिर द्विजातियों को मंत्र जपना चाहिये। ब्राह्मणों को भोजन कराने से गौ की हत्या करने वाला शुद्ध हो जाता है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं।

नवाँ-अध्याय

अगर गौ की रक्षा करने के लिये गौ बांध रखी जाय या रोकी जाय और ऐसी दशा में गौ मर जाय, तो बांधने या रोकने वाले को गो-हत्या नहीं लग सकती।

अङ्गूठे के बराबर मोटी एक हाथ लम्बी और छोटे छोटे पत्तों से युक्त लकड़ी को दण्ड कहते हैं।

यदि ऊपर कहे हुए दण्ड को छोड किसी मोटे दण्ड या लाठी से कोई गौ को मारे और उसकी चोट से गौ मर जाय—तो मारने वाले को गो-हत्या लगेगी और आठवें अध्याय में बतलाया हुआ दुगुना गो-व्रत उसे करना पड़ेगा।

गौ के घेरने से, उसे बांध रखने से, गौ को जोतने से और उसे मारने से गो-हत्या होती है। गो-हत्या के ये ही चार कारण हैं।

गौ के घेरने या उसे बन्द कर रखने से जो गो-हत्या लगती है, उसे छुड़ाने के लिये एक पाद प्रायश्चित्त करवाना चाहिये।

गौ को बांधने से यदि वह मर जाय, तो बांधने वाले को जो गो-हत्या का पाप लगता है—वह द्विपाद प्रायश्चित्त करने से दूर होता है।

यदि गौ को जोत कर, कोई गो-हत्या करे तो गो-हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिये उसे त्रिपाद् प्रायश्चित्त करना चाहिये।

यदि कोई जान बूझ कर, गो-हत्या करे तो उसे पूरा प्रायश्चित्त करना चाहिये।

चरागाह में घेर कर रखने से, घर में, किसी क़िले में, मैदान में, नदी या समुद्र के तट पर, तालाब या पहाड़ की गुफा में, या जलते हुए किसी स्थान में, गौ को रोक कर रखने से जो गो-हत्या होती है उसको "रोध-गो-हत्या" कहते हैं।

यदि जुए से, या गले में कड़ी रस्सी बाँधने से घर या जल में जो गौ की मृत्यु होती है, वह दो तरह की हुआ करती है। अर्थात् जान कर की हुई गो-हत्या और अनजाने की हुई गो-हत्या।

यदि हल में, या गाड़ी में जोते जाने से, या दो चार बैलों के साथ गौ के बाँधने से, जो गऊ मरती है—तो उसे जोत-गो-हत्या कहते हैं।

मत्त, या उन्मत्त, दशा में या जान बूझ कर हो या अनजाने ही हो—जो कोई लकड़ी, पत्थर डण्डा आदि की मार से घायल कर के गौ को मारता है उसे "निपातन" नाम की गो-हत्या लगती है।

यदि इस तरह से मारी हुई गौ सचेत हो कर और उठ कर चलने लगे, पाँच सात ग्रास (कौर) खा ले, या पानी पीले—तो गऊ को घायल करने वाले को गो-हत्या नहीं लगती।

'एक पाद' प्रायश्चित्त में प्रायश्चित्त करने वाले को सारे शरीर के रोम मुड़वा देने चाहिये। 'द्विपाद' में मूँछ और डाढ़ी

मुड़वानी चाहिये । 'त्रिपाद' प्रायश्चित्त में एक बैल और 'पूर्ण' प्रायश्चित्त में एक जोड़ा बैल का दान करना चाहिये।

अगर कोई लाठी या पत्थर से किसी गऊ का सींग तोड़ डाले, तो मारने वाले को "एक पाद" प्रायश्चित्त करना चाहिये। यदि सींग जड़ से उखड़ जाय, तो मारने वाले को 'द्विपाद' प्रायश्चित्त करना चाहिये।

यदि कोई गौ की पूँछ तोड़ डाले, तो उसे एक पाद कृच्छ्र-व्रत करना होगा।

हड्डी तोड़ने से द्विपाद, कान तोड़ने से त्रिपाद और सम्पूर्ण अङ्ग भङ्ग करने पर पूरा कृच्छ्र व्रत करना पड़ेगा।

सींग, हड्डी और कमर टूट जाने पर अगर गौ छः महीने तक ज़िन्दा रहे, तो प्रायश्चित्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यदि मारने से गौ के किसी अङ्ग में घाव हो जाय, तो मारने वाले को अपने हाथ से उस घाव में तेल या मलहम लगाना चाहिये। जब तक गौ बिल्कुल अच्छी न हो जाय, तब तक मारने वाला जौ, घास या कुट्टी खा कर रहे और घायल गौ की सेवा करे।

इसके बाद ब्राह्मण को नमस्कार कर के मारने वाला निज गौ रूप को परित्याग करे। अर्थात् वह फिर मनुष्यों की तरह अन्न आदि खाने पीने लगे।

अगर घायल गौ का घाव अच्छा हो जाय, पर उसका कोई अङ्ग टूट जाय, तो गो-हत्या के प्रायश्चित्त का आधा प्रायश्चित्त करना चाहिये।

ढेला, पत्थर या किसी हथियार से जो गौ की हत्या करता है, अब उसके प्रायश्चित्त का विधान लिखा जाता है।

लकड़ी, डण्डे से गौ की हत्या करने वाले को सान्तपन व्रत करना चाहिये।

ढेले से गोवध करने वाले को प्राजापत्य, पत्थर से गो-हत्या करने वाले को तप्त-कृच्छ्र-व्रत और हथियार से गौ को मारने वाले को, अति-कृच्छ्र व्रत करना होगा।

सान्तपन व्रत में पाँच, प्राजापत्य में तीन, तप्त-कृच्छ्र में आठ और अति कृच्छ्र व्रत में तेरह गो-दान करने चाहिये।

जैसी गौ की हत्या की हो—वैसी ही गौ का दान करना चाहिये।

महर्षि मनु का कहना है कि वैसी गौ का दाम देने से भी काम चल सकता है।

गौ को दागने या उसके चिन्ह लगाने के लिये, उसे बाँधने या रोक रखने से पाप लगता है।

गाड़ी आदि में जोतने के लिये, दुहने के समय अथवा सायङ्काल के समय, बनैले जानवरों से रक्षा करने के लिये गौ को बाँधने में पाप नहीं लगता।

गौ को दागने के लिये, उससे भारी बोझा ढुलाने के लिये—उसको नाथने या उसे पहाड़ पर अथवा नदी में ले जाने के लिये प्रायश्चित्त करना चाहिये।

गौ को दागने के लिये एक पाद, भारी बोझ लादने पर द्विपाद, नाथने पर तीन पाद और ऊपर कहे हुए सब काम करने पर पूर्ण प्रायश्चित्त करना चाहिये।

चाहे गौ खुली हो या बँधी हो, यदि दागते समय वह मर जाय, तो एक पाद प्रायश्चित्त करना चाहिये।

नारियल की, सन की और मूँज की रस्सी से और लोहे की साँकल से गौ को न बाँधना चाहिये। अगर बाँधे तो हाथ में कुल्हाड़ी लिये उसके पास खड़ा रहे। अर्थात् यदि कोई कष्ट हो तो फौरन रस्सी काट दे।

कुश अथवा काँस की रस्सी से गौ को दक्षिण की ओर मुख कर के बाँधना चाहिये।

यदि गौ की रस्सी में आग लग जाय और उसका कोई अङ्ग जल जाय तो प्रायश्चित्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है।

अगर गौ के पास घास के ढेर में आग लग जाय और गौ जल जाय तो गायत्री का जप कर के मनुष्य पवित्र हो सकता है।

कुआँ वा बावली के किनारे गौ को छोड़ देने, वृक्ष काट कर गौ के ऊपर गिरा देने अथवा गो-मांस खाने वाले के हाथ गौ बेचने से गौ के मारने की हत्या लगती है।

यदि गौ को कुए अथवा बावली से निकालते समय और पेड़ की डाली के टूटने से गौ की कोख फट जाय, आँख फूट जाय, कान टूट जाय, या गौ कुए में डूब जाय या निकालने में उसकी गर्दन या टाङ्ग टूट जाय, तो त्रिपाद प्रायश्चित्त करना चाहिये।

जल पिलाने के लिये, कुए, गड़हे, वा पोखरे या किसी नदी. तालाब के पक्के घाट पर ले जाने से, गौ की किसी तरह मृत्यु हो जाय, तो उस गौ की हत्या का पाप कुए, तालाब अथवा घाट बनवाने वाले को नहीं लगेगा।

घर के द्वार पर, घर बनाने के लिये जो गड़हा पानी के लिये खोदा जाता है, उसमें यदि गौ गिर कर मर जाय, तो प्रायश्चित्त करने की ज़रूरत नहीं है।

घर में बँधी हुई गाय के। रात्रि में यदि साँप डस ले, बाघ उसे उठा ले जाय, घर में आग लग जाय, या बिजली के गिरने से गौ घायल हो कर मर जाय—तो प्रायश्चित्त नही करना होगा।

शत्रु से घिर कर, भूखी प्यासी यदि गौ मर जाय, या मूसल-धार पानी बरसने से, घर के गिर पड़ने से गौ की मौत हो जाय, तो भी प्रायश्चित्त की जरूरत नहीं पडती।

गौ, यदि लड़ाई में मारी जाय, घर जलने के समय जल जाय, या वन की आग में जल जाय तो भी प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं है।

यदि गौ का इलाज करते समय, या बच्चा टेढ़ा हो गया हो—उसे निकालने के लिये उसे बाँधना पडे और उस दशा में वह मर जाय, तो भी प्रायश्चित्त न करना चाहिये।

बहुत सी बीमार गौओं के। एक ही घर में बंद देने से, या इलाज करना न जानने वाले मनुष्य से इलाज कराने पर, यदि गौ मर जाय, तो प्रायश्चित्त करना पड़ेगा।

गौ या बैल के। सङ्कट में देख कर, जो लेाग उसकी रक्षा नही करते और खडे खडे तमाशा देखते हैं—उस गौ या बैल के मरने पर, उन सब देखने वालों के। गौ की हत्या का पाप लगता है।

यदि गौ की हत्या का सन्देह कितने ही लोगों पर हेा और असली हत्यारे का पता न चलता हेा—तो राजा उन सब के। सैागन्द खिला कर और गवाही ले कर असली हत्यारे का पता लगावे।

यदि एक गौ की हत्या में कई एक आदमी साझीदार हों तो वे सब अलग अलग गो वध के पाप के। दूर करने के लिये एक पाद वा चैाथा हिस्सा प्रायश्चित्त करें।

गो-हत्या होने पर गौ के लोहू की परीक्षा करनी चाहिये—जिससे यह मालूम हो जाय कि गौ को कोई बीमारी तो न थी।

यदि ऐसा हो तो गो-हत्यारे को अलग अलग प्रायश्चित्त करने पड़ेंगे।

मनु जी का मत है कि हर प्रकार के गो-वध के प्रायश्चित्त में चान्द्रायण व्रत करना चाहिये।

जो मनुष्य प्रायश्चित्त की विधि के अनुसार अपने बाल न मुड़वाना चाहे—उसे दुगुना प्रायश्चित्त करना चाहिये और प्रायश्चित्त की दुगुनी दक्षिणा भी देनी चाहिये।

पर राजा, राज-पुत्र या वेद जानने वाले ब्राह्मण का प्रायश्चित्त बिना बाल मुड़ाये ही हो सकता है।

जो आदमी प्रायश्चित्त करते समय बाल नहीं मुडाते या दुगुना दानादि नहीं करते, उनका पाप ज्यों का त्यों बना रहता है। उनका पाप नहीं छूटता।

जो लोग प्रायश्चित्त की विधि बतलाते समय प्रायश्चित्त करने वाले को बाल मुड़वाने की विधि नहीं बतलाते—वे लोग मरने के बाद नरक में गिरते हैं।

जो कुछ पाप किया जाता है, वह जा कर बालों में अटक रहता है।

यदि स्त्री को प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता पडे और वह सुहागिन हो या कुमारी हो तो उसके सिर के आगे के दो अङ्गुल बाल काट लेना चाहिये। क्योंकि स्त्रियों के सिर के बाल मुड़वाने की मनाई है।

रात्रि में न तो स्त्री को गोशाला में सोना चाहिये और न दिन में गौओं के पीछे पीछे घूमना चाहिये। स्त्रियों को गौ के पीछे नदियों के सङ्गम पर या वन में कभी न जाना चाहिये।

स्त्रियाँ मृगचर्म्म नही पहिन सकती, इस लिये वे दिन में तीन बेर नहा कर, भगवान की आराधना कर के, व्रत को पूरा करें।

स्त्रियाँ अपने भाई-बन्दों के साथ रह कर ही कृच्छ्र चान्द्रायणादि-व्रत कर सकती हैं। उन्हें सदा घर में रह कर और पवित्र हो कर सारे नियम पालने चाहिये।

इस ससार में जो मनुष्य गो-हत्या के पाप को छिपा रखेगा—वह मरने पर अवश्य 'काल-सूत्र' नाम के घोर नरक में पड़ेगा।

नरक भोग चुकने पर भी उसका छुटकारा न होगा। उसे फिर यहाँ जन्म लेना पड़ेगा और सात जन्म तक वह नपुंसक, दु.खी और कोढ़ी होगा।

इसलिये गो-हत्या के पाप को कभी न छिपावे। उसे तुरन्त प्रकट कर देना चाहिये और सदा अपने धर्म्म का पालन करना चाहिये।

स्त्रियों, बालकों और गौओं पर पुरुषों को कभी क्रोध न करना चाहिये।

हमारा-विचार

आठवें अध्याय के अन्तिम भाग में और समूचे नवें अध्याय में महर्षि पाराशर जी ने गौ की रक्षा करने का उपदेश दिया है।

जिस तरह गौ की रक्षा का बड़ा पुण्य बतलाया है, उसी तरह महर्षि ने गो-हत्या को महा पातक बतला कर कड़े कड़े प्रायश्चित्तों की विधि कही है।

हिन्दू मात्र का कर्त्तव्य है कि वह गौ की रक्षा करे। क्योंकि भारतवर्ष में खेती बारी ही का उद्यम अधिक होता है। यहाँ के रहने वालों में नब्बे फी सदी लोगों का पेट खेती बारी से भरता है।

गौ के बिना खेती बारी का काम नही चल सकता। अरब वाले ऊँटों से और यूरुप वाले कल और घोड़ों के सहारे से हल चलाते हैं, पर तीस करोड़ भारतवासियों की जान गौओं के हाथ में है।

गो-वंश हिन्दुओं का जीवन है। उनके भगवान् कृष्णचन्द्र को गौएँ बहुत प्यारी हैं। उन्होंने अवतार ले कर गौओं का स्वय सेवा और रक्षा की थी। इस लिये श्री कृष्णचन्द्र के उपासकों को गौ की रक्षा तन मन धन से करनी चाहिये।

नवें अध्याय के पढ़ने से यह बात समझते देर नही लगती कि जो हिन्दू गौ की रक्षा नहीं करता वह हिन्दू नही है।

जो पुरानी चाल के हिन्दू हैं, जिनके घरों में धर्म्म शास्त्र की मर्य्यादा का आदर होता है—उनके यहाँ अब भी गो-धन नहीं बेचा जाता है।

जो हिन्दू हो कर बूढ़ी अथवा दूध न देने वाली गौ के खाने पीने का प्रबन्ध नही करता और उसे पुण्य कर डालता है—उसे गो-वध का पाप लगता है।

क्योंकि जब वह स्वयं ऐसी गौ का भार नही उठा सकता, तब वह यह सोच सकता है कि दूसरा भी उसकी रक्षा न कर सकेगा। अन्त में वह ऐसे लोगों के हाथ बेची जायगी जो गो-माँस-भक्षी हैं।

इस लिये भगवान् पाराशर जी के कहने के अनुसार ऐसे के हाथ गौ बेचने वाले को भी गो-हत्या का पाप लगता है।

जो सदाचारी हैं और जिनका जन्म अच्छे कुल में हुआ है—वे कृतघ्न (एहसान-फरामोश) नहीं होते। यदि ऐसों के साथ कोई छोटा सा भी एहसान करे—तो वे कभी उसे नही भूलते और सदा उसके कृतज्ञ बने रहते हैं। जो किसी के उपकार को नही मानता वही कृतघ्न कहलाता है।

कृतघ्न की शास्त्रों में निन्दा लिखी है और सभ्य-समाज भी ऐसों को बुरी निगाह से देखता है। अगर हम सचमुच मनुष्य हैं और यदि हमको अपने मनुष्य होने का अभिमान है तो हमें गौओं के उपकारों को मानना चाहिये। उन्हें कभी न भूलना चाहिये।

गौ जिस तरह अपने मित्र को दूध देती है, वैसे ही अपने शत्रु को भी दूध देती है। अपना निर्वाह करने के लिये गौएँ

किसी से मालमलीदा नहीं मांगतीं। वे अन्न मनुष्यों के लिये और आदमियों के शौक और आराम की चीज़ें—ऊँट, घोड़े और हाथियों के लिये छोड़ देती हैं। आप बेचारी अन्न के भूसे ही पर अपने दिन काटती हैं।

हल के जुएँ को अपने कन्धे पर रख कर बैल खेत में मेहनत करते हैं—किसके लिये? मनुष्य जाति के लिये। गौएँ भूसा, करबी, चोकर, खली आदि खा कर, आपको दूध, दही, घी, गोबर देती हैं। मनुष्य की माता और गो-माता में अगर कुछ अन्तर है, तो यही है कि गो-माता मनुष्यों की ऐसी दयावती माता है कि अपने सन्तान को मरने पर भी नहीं भूलती हैं। गङ्ग कवि ने लिखा है—"मुएहु चाम सेवत चरण।" अर्थात् मरने पर भी अपने चमड़े की जूतियों से मनुष्यों के पैरों की रक्षा करती हैं।

जो वंश मनुष्य जाति का इतना बड़ा उपकार करता हो, उसके साथ क्या कभी निठुर व्यवहार शोभा देता है। खास कर उन लोगों को जो पढ़े लिखे हैं और जिनमें भलाई बुराई समझने की बुद्धि है।

गो-वंश की रक्षा का यही उपाय है कि प्रत्येक गृहस्थ अपनी शक्ति के अनुसार एक या दो गौओं का पालन करे। क्योंकि दूध, दही और घी के बिना हम लोगों[1] का शरीर पुष्ट नहीं हो सकता। दूध दही के बिना हमारी बुद्धि भी निकम्मी हो जाती है।

---

१ जो लोग निरामिष भोजी हैं अर्थात् जो मांस न खा कर, अन्न और शाक पात से निर्वाह करते हैं।

दसवाँ-अध्याय

कलियुग में स्त्री के साथ खोटे काम करने वाले लोग बहुत हुआ करते हैं। इस लिये इस अध्याय में भगवान् पाराशर मुनि ने उस पाप के दूर करने के प्रायश्चित्त बतलाये हैं।

पाराशर जी ने लिखा है कि यदि स्त्री मदिरा पी ले तो वह पतिता हो जाती है। उसका आधा शरीर पतित होता है और नरक में गिरने से भी उसका पाप नहीं छूटता।

जिसकी स्त्री ने मदिरा पीली हो उसे कृच्छ्र सान्तपन व्रत करना चाहिये और गायत्री जपनी चाहिये।

ऐसो को गो-मूत्र, गोबर और गौ के दूध में कुश से छुआ हुआ जल मिला कर पीना चाहिये। फिर वे एक रात उपवास करें।

जो स्त्री पति के विदेश जाने पर, या पति के मरने पर या पति से छोडी जाने पर, दूसरा पति कर लेती है उस पतिता पापिनी स्त्री को दूसरे राज्य में लेजा कर छोड आना चाहिये।

यदि कोई ब्राह्मणी किसी दूसरे मनुष्य के साथ घर से चली जाय, तो उसे फिर कभी अपने घर में न आने देना चाहिये। उस स्त्री को पाराशर भगवान् 'नष्टा' बतलाते हैं।

जो स्त्री अपने नातेदारों और पुत्रों को छोड कर चली जाती है, उसके यह लोक और परलोक; दोनों नष्ट हो जाते हैं।

ग्यारहवाँ-अध्याय

यदि कोई ब्राह्मण गौ का मांस, या चाण्डाल का अन्न खा ले—तो उसे कृच्छ्र चान्द्रायण-व्रत करना होगा।

यदि यह काम क्षत्रिय या वैश्य करें तो उन्हें आधा कृच्छ्र चान्द्रायण[1] व्रत करना होगा।

अगर शूद्र अनखानी चीज़ें खा ले, तो उसे प्राजापत्य-व्रत करना होगा।

ब्राह्मण को एक, क्षत्रिय को दो, वैश्य को तीन और शूद्र को चार गो-दान करने पड़ेंगे।

शूद्रान्न (शूद्र का अन्न) अशौचान्न (सूतक लगे हुए मनुष्य का अन्न) अभोज्यान्न (न खाने योग्य भोजन) शङ्कितान्न (जिस

---

१ कृष्णपक्ष में प्रति-दिन एक एक ग्रास भोजन घटाना और शुक्लपक्ष में उसी तरह एक एक ग्रास बढ़ाना होगा। अमावस्या को कुछ भी नहीं खाना चाहिये। यही चान्द्रायण-व्रत की विधि है।

ग्रास मुर्गी के अण्डे के बराबर बनाना चाहिये।

अन्न के खाने में किसी तरह की मन को शङ्का उत्पन्न हो। निषिद्धान्न (ख़राब भोजन) और उच्छिष्टान्न (जूठा अन्न) यदि कोई ब्राह्मण अनजाने या विपद् में पड कर खा ले, तो जब मालूम हो, तब उसे कृच्छ्र-चान्द्रायण-व्रत करना चाहिये।

यदि अन्न को साँप, न्योला अथवा बिल्ली जूठा कर डाले, तो उस अन्न में तिल कुश और जल डाल देने से वह अन्न शुद्ध हो जायगा। इसमें कोई सशय की बात नही।

यदि शूद्र अनखाना अन्न खा ले तो वह पञ्चगव्य से शुद्ध हो जाता है।

यदि क्षत्रिय और वैश्य अनखाना अन्न खा लें तो वे प्राजापत्य-व्रत कर के शुद्ध होंगे।

ब्राह्मणों की ज्योंनार में यदि एक भी ब्राह्मण अपनी पत्तर छोड़ कर उठ जाय तो उस पङ्गत में कोई भी ब्राह्मण फिर भोजन न करे।

यदि लोभ में पड़ कर, कोई ब्राह्मण भोजन करता रहे, तो उसे कृच्छ्र-सान्तपन-व्रत कर के, उस दोष का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा।

दूध जैसा सफेद लहसुन, बैगन, गाजर, प्याज, ताड़ी, देवता को चढ़ायी हुई सामग्री या रुपया पैसा, ओला, ऊँटनी और बकरी के दूध को जो ब्राह्मण अनजाने भी खाले, तो भी उसे तीन रात्रि तक व्रत कर के पञ्चगव्य पीना चाहिये।

अगर कोई ब्राह्मण अनजाने मेंढ़क या चूहे का मांस खा ले तो उसे चौबीस घण्टे उपवास कर के भोजन करना चाहिये। ऐसा करने से वह शुद्ध होता है।

चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य, यदि वह धर्म्म कर्म से रहता हो और पवित्रता से रहता हो, तो उसके घर जा कर होम, यज्ञ, वा उसके पिता के श्राद्ध में ब्राह्मण सदा भोजन कर सकता है।

ब्राह्मण नदी के तट पर, शूद्र का दिया हुआ अन्न खा सकते हैं।

यदि कोई ब्राह्मण जन्म या मरण का सूतक लगे हुए मनुष्य का अन्न खा ले तो उसकी शुद्धि की विधि अब लिखी जाती है।

शूद्र के जन्म-सूतक में उसका अन्न खाने से, शुद्धि के लिये आठ हज़ार गायत्री का जप करना चाहिये।

जन्म-सूतक में यदि वैश्य का अन्न कोई ब्राह्मण खा ले तो उसे शुद्ध होने के लिये पाँच हज़ार गायत्री जपनी चाहिये।

जन्म-सूतक में क्षत्रिय का अन्न यदि कोई ब्राह्मण खा ले, तो वह ब्राह्मण तीन हज़ार गायत्री जपने से शुद्ध होता है।

जन्म-सूतक लगे हुए ब्राह्मण का अन्न यदि ब्राह्मण को खाना पड़े तो वह केवल प्राणायाम करने या वामदेव्य सामवेद पाठ करने से शुद्ध हो जाता है।

यदि शूद्र के घर से सूखा अन्न या चांवल, घी, दूध और तेल आदि आवे और अपने घर पर रसोई बनायी जाय तो वह अन्न पवित्र ब्राह्मण के भी भोजन करने योग्य है।

विपत्ति पड़ने पर यदि ब्राह्मण को शूद्र के घर में भोजन करना पड़े तो मन में पछतावा करने ही से ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। यदि ऐसा न करे तो सौ बार गायत्री का जप करने से वह शुद्ध हो जायगा।

शूद्रों में दास, गोपाल, कुल-मित्र (शायद कुर्मी) अर्द्धसीर (औधिया) का अन्न ब्राह्मण भोजन कर सकता है।

शूद्र कन्या के ब्राह्मण से जो लड़का पैदा होता है, और उसका संस्कार यदि हो गया हो तो उसको "दास" कहते हैं।

परन्तु यदि उसका संस्कार न किया गया हो तो उसे "नापित[1]" कहते हैं।

शूद्र कन्या के क्षत्रिय से जो बेटा उत्पन्न होता है उसे "गोपाल" कहते हैं।

ब्राह्मण बिना रोक टोक गोपाल के घर में भोजन कर सकते हैं।

वैश्य कन्या के ब्राह्मण से उत्पन्न सन्तान को 'अर्द्धसिर' कहते हैं। उनके घर में भी ब्राह्मण भोजन कर सकते हैं।

यदि कोई ऐसी जाति के लोगों के बर्तन में दही, दूध वा घी खा ले, जिनका अन्न जल नहीं लेना चाहिये—तो ऐसा करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र को ब्रह्मकूर्च[2] भोजन करा और उपवास करा कर, प्रायश्चित्त की विधि बतलानी चाहिये।

शूद्रों को उपवास न करावे। वे केवल दान देने से शुद्ध हो जाते हैं।

ब्रह्मकूर्च की इतनी महिमा है कि चाण्डाल भी उसे खा कर चौबीस घण्टे में शुद्ध हो सकता है।

पञ्च-गव्य बड़ा पवित्र और पाप का नाश करने वाला है।

काली गाय का मूत्र, सफेद गाय का गोबर, ताँबे की रङ्गत वाली गाय का दही और कपिल (पीला) वर्ण की गौ के घी का पञ्च-गव्य बनाना चाहिये।

---

1 नाई को भी कहते हैं।

२ गो-मूत्र, गो-मय, (गोवर) गो-दधि, गो-दूध और गो-घृत, (घी) एवम् कुश के जल को आपस में मिलाने से जो पदार्थ तय्यार होता है, उसका नाम ब्रह्मकूर्च है।

यदि पाँचों रङ्ग की गौएँ न मिलें तो केवल कपिल (पीला) रङ्ग की गाय से ही काम चला लेना चाहिये।

गो-मूत्र एक पल (एक प्रकार की तोल) दही तीन पल, घी एक पल, गोबर आधे अँगूठे की बराबर, दूध सात पल और कुश का जल एक पल लेना चाहिये।

गायत्री पढ़ कर गो-मूत्र, "गन्धद्वारां[1]" इत्यादि मंत्र पढ़ कर गोबर, "आप्यायस्वं" मंत्र पढ़ कर, दूध; "दधिक्राव्ण" मंत्र पढ़ कर दही, "तेजोऽसि शुक्रम्" मंत्र पढ़ कर घी और "देवस्यत्वा" मंत्र पढ़ कर, कुश का जल लेना चाहिये।

इसके बाद ऋक् मंत्र का पाठ कर के पञ्चगव्य शुद्ध करे। फिर उसे अग्नि के पास रखे।

"आपोहिष्ठेत्यादि" मंत्र पढ़ कर सब द्रव्यों को हिला हिला के एकत्र कर मिलावे।

"मानस्तोक" मंत्र से पञ्चगव्य को शुद्ध (मंत्र-पूत) करे।

पीछे से जिस कुश की फुनगी टूटी या कटी न हो और जिसका रङ्ग तोते की तरह हरा हो—उस कुश से पञ्चगव्य का अग्नि में हवन करे।

"इरावती इदं विष्णुः मानस्तोक शम्वती"—मंत्र पढ़ कर हवन करना चाहिये।

अन्त में हवन करने के बाद जितना पञ्चगव्य बचे, उसे पी ले।

---

१ ये मंत्र पूरे नहीं हैं। जो मन्त्र पढ़ने चाहिये उनके आदि का पहिला शब्द सङ्केत (इशारे) के लिये दे दिया गया है। ये सब वेद के मन्त्र है।

पञ्चगव्य को पीने के पहिले प्रणव (ओं) कह कर उसे हिलावे। प्रणव कह कर उसे मिलावे। प्रणव कह कर, उसे उठावे और प्रणव कह कर ही उसे पी ले।

जो पाप देहधारियों की हड्डियों तक में विध गया हो—वह इस ब्रह्मकूर्च के पीने से वैसे ही भस्म हो जाता है, जैसे अग्नि से लकड़ियों का ढेर।

जल पीते समय यदि जल मुँह से निकल कर, पीने वाले जल में गिर पड़े, तो वह जल पीने योग्य नहीं रहता।

उस जल के पीने वाले को चान्द्रायण व्रत करना पड़ेगा।

यदि किसी कुए में कुत्ता, स्यार या बन्दर गिर पड़े या कोई उस कुए में कोई हड्डी या चमड़ा डाल कर, जल को अपवित्र कर दे, तो उस कुए के अपवित्र जल के पीने वालों को नीचे लिखी हुई विधि से प्रायश्चित्त करना चाहिये।

अगर ब्राह्मण ने उस कुए का जल पी लिया हो तो वह तीन रात्रि, क्षत्रिय ने पिया हो तो वह दो रात्रि और वैश्य ने पिया हो तो वह दिन भर, उपवास करे तो शुद्ध हो।

इस प्रायश्चित्त में शूद्र को भी एक रात्रि का उपवास करना बतलाया गया है। ऐसा करने से शूद्र का पाप छूटता है।

जो ब्राह्मण, "पाक-निवृत्त" या "पाक-रत" अथवा "अपच" ब्राह्मण का अन्न खा ले, तो उसको चान्द्रायण व्रत करना चाहिये।

"अपच" ब्राह्मण को दान देने से दान का यही फल मिलता है कि दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों ही नरकगामी होते हैं।

"पाक-निवृत्त" ब्राह्मण वह है जो विधि पूर्वक घर में अग्नि को स्थापित (रख) कर, पञ्चयज्ञ नहीं करता है।

जो ब्राह्मण नित्य सवेरे उठ कर स्वयं पञ्चयज्ञ कर के दूसरे के अन्न से अपना पालन करते हैं, वे "पाक-रत" कहलाते हैं।

जो ब्राह्मण गृहस्थी छोड़ कर भी दान करता है—धर्म्म का तत्व जानने वाले ऋषियों ने, उसे "अपच" बतलाया है।

युग-धर्म्म के अनुसार चलने वाले ब्राह्मणों की निन्दा न करनी चाहिये। क्योंकि ब्राह्मण लोग ही युग-रूप से इस संसार में अवतार लेते हैं।

यदि कोई मनुष्य ब्राह्मण को धमकावे, डरावे या किसी माननीय श्रेष्ठ पुरुष के साथ बात चीत करते समय "तुम" कहे, तो उसे चाहिये कि स्नान कर के वह दिन भर ऐसे लोगों को प्रसन्न करने के यत्न में लगा रहे।

यदि कोई मनुष्य किसी ब्राह्मण को तिनके से भी मार दे उनके गले में कपड़ा बाँध कर, उनका अपमान करे या बहस में उन्हें हरा दे, तो ऐसा करने वाले को चाहिये कि वह उस ब्राह्मण को प्रणाम कर, प्रसन्न करे।

यदि कोई मनुष्य किसी ब्राह्मण के मारने को लाठी उठावे, तो उसे एक रात्रि का उपवास करना चाहिये।

यदि ब्राह्मण को कोई मनुष्य ज़मीन पर दे पटके, तो उसे तीन रात तक उपवास करना चाहिये।

यदि कोई मनुष्य किसी ब्राह्मण को लाठी से मार कर, लोहू लुहान कर दे, तो उसे कृच्छ्र-व्रत करना पड़ेगा।

यदि सभी पाप एक साथ इकट्ठे हो गये हों तो पापी गायत्री का एक लाख जप करने से—सब पापों से छुट कर, पवित्र हो जाता है।

बारहवाँ-अध्याय

खोटा स्वप्न देखने, हजामत कराने और मरघट की चित्ता का धुआँ देह में लगने के बाद स्नान करना चाहिये।

यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य अनजाने विष्ठा, मूत्र अथवा मदिरा पी लें तो उनका फिर से संस्कार करना चाहिये।

दुबारा संस्कार होने पर मृग-चर्म्म, मेखला, दण्ड धारण और भिक्षाटन भी करना होगा।

पर यदि शूद्र और स्त्री को शुद्धि करानी हो तो उन्हें प्राजापत्य व्रत कराना चाहिये।

व्रत करने के बाद, स्नान कर के पञ्चगव्य पीने से शुद्धि होती है।

अगर नित्य स्नान-क्रिया में कोई वाधा पड़े, या घर में स्थापित की हुई अग्नि बुझ जाय, या किसी अन्य कारण से अग्नि के कार्य्य में कोई वाधा पड़ जाय तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को दो प्राजापत्य व्रत या तीर्थ-यात्रा अथवा ग्यारह वैल दान करना चाहिये। ऐसा करने से उनकी शुद्धि हो जायगी।

यदि ब्राह्मण से ऊपर कहे हुए कार्य्यों में भूल हो, या वह ऊपर कहे हुए कर्म न कर सके तो उसे वन में किसी चौराहे पर चुटिया समेत सिर मुड़वा कर, तीन प्राजापत्य व्रत करना चाहिये और एक गौ और एक बैल दान करने चाहिये।

स्वायम्भुव मनु ने कहा है कि ब्राह्मण-गण ऐसा करने से ऊपर कहे हुए पाप से छूट कर, फिर पहिले की तरह ब्राह्मण हो जाते हैं।

बुद्धिमान लोगों ने पाँच तरह के स्नान बतलाये हैं। जैसे आग्नेय, वारुण, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य।

१. भस्म को शरीर में लगाने को आग्नेय स्नान कहते हैं।

२. जल से स्नान करने को वारुण स्नान कहते हैं।

३. "अपोहिष्टा मयोभुव" इत्यादि मन्त्र को मन में पढ़ कर मानसिक स्नान का नाम ब्राह्म-स्नान है।

४. धूल अङ्गों में लगा कर स्नान करने को वायव्य स्नान कहते हैं।

५. धूप रहते वर्षा के जल में स्नान करने को दिव्य-स्नान कहते हैं।

दिव्य-स्नान करने वाले को गङ्गा-स्नान का फल मिलता है।

जब ब्राह्मण लोग स्नान करने जाते हैं, तब उनके प्यासे पुरखे वायु रूप में, उनके साथ साथ चलते हैं।

स्नान कर चुकने पर यदि ब्राह्मण अपनी धोती बिना तर्पण किये निचोड़ लें, तो उनके पुरखे निराश हो लौट जाते हैं।

इस लिये बिना तर्पण किये कभी धोती न धोनी चाहिये।

जो द्विज स्नान कर के खड़े ही खड़े सिर के बाल झाड़ते हैं, या जल के ऊपर कुल्ला करते हैं—उनका दिया हुआ जल, देवता और पितर नही लेते।

सिर पर पगड़ी या टोपी लगा कर, धोती का काँच खोल कर, चुटिया की गाँठ न लगा कर और यज्ञोपवीत न रख कर द्विजगण आचमन करने पर भी अपवित्र ही रहते हैं।

सूखे में रह कर जल में और जल में रह कर सूखी जगह पर आचमन न करना चाहिये।

जल में रह कर जल में और स्थल पर रह कर स्थल पर आचमन करने से पवित्रता हो सकती है।

स्नान कर के, छींक कर, सो कर, भोजन कर के रास्ता चल कर, और कपड़े बदलने के पहिले यदि आचमन किया भी हो, तो भी आचमन कर लेना चाहिये।

छीकने, थूकने, दाँतों से जूँठन निकलने पर, झूठ बोलना मालूम होने पर, या पतित मनुष्य के साथ बात चीत करने पर, दहिना कान छू लेना चाहिये।

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सोम, सूर्य्य और वायु—ये सारे देवता ब्राह्मण के दहिने कान में रहा करते हैं।

सूर्य्य की किरणों से पवित्र हुए दिन ही में स्नान करना अच्छा है।

चन्द्र ग्रहण को छोड़ कर, रात्रि में स्नान न करना चाहिये।

मरुद्गण, रुद्रगण, वसुगण, आदित्यगण तथा अन्यान्य देवता सभी चन्द्रमा के भीतर विराजमान रहते हैं, इस लिये चन्द्र-ग्रहण के समय अवश्य स्नान करना चाहिये।

काल-यज्ञ, विवाह, संक्रान्ति और ग्रहण के समय रात्रि में दान करना चाहिये। किन्तु वैसे रात्रि में कभी दान न करे।

पुत्र जन्म में, यज्ञ काल में पुण्याहवाचन में राहु देखने पर रात्रि ही में दान करना चाहिये।

रात के दूसरे और तीसरे पहर को महानिशा कहते हैं। रात के पहिले और चौथे पहर में लोग दिन की तरह स्नान कर सकते हैं।

चाण्डाल और शराब वेचने वाले को छू कर कपड़ों सहित स्नान करना चाहिये।

अस्थि-सञ्चय[1] करने के पहिले यदि रोवे तो उसे स्नान करना चाहिये।

दशाह के समय रोने से स्नान करना चाहिये और स्नान करने के पहिले आचमन करना चाहिये।

जब सूर्य्य-ग्रहण या चन्द्र-ग्रहण पड़ता है, तब सभी जल गङ्गा जल के समान पवित्र हो जाते हैं। उस समय लोग हर जगह स्नान कर सकते हैं।

कुश से पवित्र किये हुए जल से स्नान करने, उससे आच-मन करने और उसे पीने से, सोमरस पीने का फल होता है।

जो ब्राह्मण अग्नि-होत्र नहीं करते अथवा सन्ध्योपासन नहीं करते या वेद को नहीं पढ़ते—वे "वृषल" कहलाते हैं।

यदि ब्राह्मण सारा वेद न पढ़ सकें तो कम से कम उन्हें उसका एक अंश तो अवश्य ही पढ़ लेना चाहिये।

---

१ हिन्दुओं के यहाँ यह प्रथा है कि यदि कोई ऐसे स्थान में मर जाय जहाँ गङ्गा नहीं है तो दाह करने वाले मरे हुए की जलाई हुई हड्डियाँ बीन कर गङ्गा में डाल आते हैं। हड्डियों का बीनना "अस्थि-सञ्चय" कह-लाता है।

शूद्र के अन्न जल से पले हुए ब्राह्मण का वेद पढ़ना, जप करना या हवन करना निष्फल होता है। इन उत्तम कार्य्यों को कर के भी उनकी सद्गति नहीं होती है।

शूद्र का अन्न खाने से शूद्र के साथ उठने बैठने से और शूद्र से विद्या पढ़ने से ब्राह्मण में ज्ञान उत्पन्न हो जाय, तो भी वह पतित होता है।

पाराशर जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण शूद्र के अन्न जल से पलता है-वह किस किस नीच योनि में जन्मेगा—यह हम ठीक ठीक नहीं कह सकते हैं।

मनु जी का कहना है कि ऐसा ब्राह्मण १२ बार गिद्ध, १० बार सुअर, और ७ बार कुत्ता होगा।

जो ब्राह्मण शूद्र से दक्षिणा ले कर, उसके लिये हवन आदि करता है, वह ब्राह्मण शूद्र हो जाता है और शूद्र ब्राह्मणत्व लाभ करता है।

जो ब्राह्मण मौनव्रत धारण करें, उन्हें कभी बात चीत न करनी चाहिये।

यदि ब्राह्मण भोजन करते समय बोल उठे तो उसे फिर भोजन न करना चाहिये।

जो ब्राह्मण आधा भोजन कर, भोजन-पात्र में (थाली से) जल पीते हैं—उनके देव-कर्म्म और पितृ-कर्म्म दोनों ही नष्ट होते हैं।

तर्पण करने का अधिकार होने पर भी जो द्विज तर्पण नहीं करते उनसे देवता अप्रसन्न रहते और उनके पितृगण निराश हो कर लौट जाते हैं।

न्यायवान् और बुद्धिमान् गृहस्थों को सदा धर्म्म का ख़्याल रखना चाहिये।

न्याय के अनुसार धन पैदा कर, सदा ज्ञान की रक्षा करनी चाहिये। क्योंकि जो लोग न्याय पथ पर नहीं चलते, वे धर्म्म-कर्म्मों से बाहर होते हैं।

अग्निहोत्री-ब्राह्मण, कपिला गौ, यज्ञकारी राजा, भिक्षुक और समुद्र के दर्शन करने ही से पुण्य होता है। इस लिये इनके दर्शनों का सदा प्रयत्न करे।

अरणी[1] काली बिल्ली, चन्दन, अच्छी मणि, घी, तिल और काले मृग-चर्म को घर में रखना चाहिये।

सौ गाय और एक साँड़ जिस खेत में चर सकें, उस खेत से दसगुने खेत को एक गो-चर्म्म कहते हैं।

यदि कोई मन, वचन या कर्म से ब्रह्म-हत्या आदि बड़ा पाप करे, तो एक गो-चर्म्म भूमि का दान देने वह उस पाप से छुटकारा पा जाता है।

बहुल कुटुम्ब वाले धन-हीन ब्राह्मण को, विशेष कर वेद जानने वाले ब्राह्मण को, दान देने से दाता की आयु (उम्र) बढ़ती है।

चाण्डाली को छूने से दो दिन, प्रसूति (जच्चा) को छूने से चार दिन, रजस्वला को छूने से छः दिन और पतिता को छूने से आठ दिन तक, छूने वाला अपवित्र रहता है।

इस लिये इनके पास जाने से भी स्नान करना चाहिये।

---

1 समी पेड़ की लकड़ी जिसके रगड़ने से यज्ञ में अग्नि निकाली जाती है।

यदि कोई अनजाने उन्हें छू ले, तो उसे स्नान कर के सूर्य्य का दर्शन करना चाहिये। ऐसा करने से वह पवित्र हो जाता है।

यदि कोई अज्ञानी ब्राह्मण बावली, कुआ, तालाब में मुँह डाल कर जल पीए तो अगले जन्म में उसे कुत्ता बनना पड़ेगा।

यदि कोई थकावट, क्रोध, अथवा तमोगुण की अधिकता से या भ्रम, भूख, प्यास और भय के कारण दान आदि पुण्य कर्म्म न करे, तो उसे तीन दिन तक प्रायश्चित्त करना होगा।

ऐसे मनुष्य को महानदियों के किसी सङ्गम पर नित्य तीन बेर स्नान करना चाहियें। फिर उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा और गोदान देना पड़ेगा।

यदि कोई आदमी किसी दुराचारी ब्राह्मण का अन्न खा ले तो उसे एक दिन बिना खाये रहना पड़ेगा।

जो ब्राह्मण सदाचारी और वेदान्तवादी हों, उनका अन्न एक दिन रात खाने से पापी पाप से छूट जाता है।

जूठे मुँह या मल-मूत्र त्याग कर पवित्र हुए बिना, अन्तरिक्ष (कोठे पर) या निराले रास्ते पर जो मरता है—उसका सूतक कृच्छ्र-व्रत करने से दूर होता है।

अब कृच्छ्र-व्रत का विधान लिखा जाता है। इस व्रत में दस हजार गायत्र जपनी चाहिये। तीन सौ प्राणायाम करना चाहिये। बारह बार सिर भिगो कर किसी तीर्थ में स्नान करना चाहिये। फिर दो योजन की तीर्थ-यात्रा करनी चाहिये।

यदि कोई ब्राह्मण का मारने वाला किसी चतुर्वेदज्ञ के पास प्रायश्चित्त की विधि पूँछने जाय, तो उसे चाहिये कि उस पापी को सेतुबन्ध-तीर्थ जाने की व्यवस्था दे।

वह प्रायश्चित्त करने वाला रास्ते में चारों वर्णों से भीख माँग सकता है। वह केवल कुकर्मी की भिक्षा न ले।

तीर्थ-यात्रा में जाते समय छतरी और जूते न वर्तना चाहिये।

प्रायश्चित्त करने वाले को भीख माँगने के समय यह कहना चाहिये—"मैंने भारी कुकर्म किया है। मैंने महा पापकारी ब्रह्म-हत्या की है। मैं इस समय भीख माँगने के लिये आपके द्वार पर खड़ा हूँ।"

रास्ते में प्रायश्चित्त करने वाले को गोशाला, गाँव, नगर, वन, तीर्थ और नदी के किनारे ठहरना चाहिये। साथ ही जहाँ जहाँ वह ठहरे वहाँ वहाँ उसे अपने पाप को वर्णन करना चाहिये।

अन्त में पवित्र समुद्र के पास जा कर, श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से नल बन्दर के बनाये हुए दस योजन लम्बे पुल के दर्शन करने से, दर्शन करने वाले की ब्रह्म-हत्या छूट जाती है।

यदि राजा ब्रह्म हत्या करे तो उसे अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा।

पहले कहा हुआ मनुष्य सेतु के दर्शन कर और राजा यज्ञ के घोड़े के साथ घूम फिर कर, अपने अपने घर लौट आवें।

घर लौट कर के पुत्र और मित्र की सहायता ले कर, ब्राह्मणों को भोजन करावें और किसी चतुर्वेदज्ञ ब्राह्मण को एक सौ गऊ दान दें।

इन ब्राह्मणों के प्रसाद ही से ब्रह्म-हत्याकारी पाप से छुटकारा पाता है।

यज्ञ वा व्रत करने वाली स्त्री की हत्या करने से भी ब्रह्म-हत्या ही के प्रायश्चित्त का नियम पालन करना होगा।

जो ब्राह्मण मद्य पीते हैं, उनको समुद्र में मिलने वाली किसी नदी पर जा कर चान्द्रायण व्रत करना होगा।

शराबी व्रत पूरा होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे और बैल समेत गोदान करे।

जो आदमी ब्राह्मण का सोना चुरावे—उसका यही प्रायश्चित्त है कि वह अपने वध के लिये आप ही अपने हाथ में मूसल ले, राजा के पास जाय।

यदि राजा उसे छोड दे, तो वह उस पाप से भी छुटकारा पा सकता है।

यदि राजा समझे कि पापी ने जान बूझ कर, चोरी की है, तो राजा को उचित है कि चोर को मार डालने की आज्ञा दे।

जिस तरह जल के ऊपर तेल की एक बूँद फैल जाती है, उसी तरह एक साथ बैठने, सोने, चलने और बात चीत करने से एक आदमी का पाप दूसरे को लग जाता है।

चान्द्रायण से, जौ खाने से, तुला-पुरुष-व्रत करने से और गौ के पीछे पीछे फिरने से पापों का ढेर नष्ट हो जाता है।

भगवान् पाराशर ने इस धर्म्म शास्त्र को पाँच-सौ निन्यानवे श्लोकों में बनाया है।

जिसे स्वर्ग में जाने की अभिलाषा हो, उसे वेद की तरह, इस धर्म्म शास्त्र को नित्य पढ़ना चाहिये।

॥ इति ॥

Printed by RAMZAN ALI SHAH at the National Press, Allahabad.

चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा कृत

१—हिन्दी महाभारत जिल्ददार (सचित्र) अठारहों पर्व सहित .. .. १।)

२—भारतीय उपाख्यान माला (सचित्र) जिल्ददार १।)

३—पौराणिक उपाख्यान माला सम्पूर्ण जिल्ददार ... १।)

४—राबिन्सन क्रूसो (सचित्र) .. .. १)

५—हिन्दी पद्य-संग्रह . ... ॥=)

६—शब्दार्थ पारिजात (कोष) ... ... २)

७—श्रीकृष्ण कथा (सचित्र) ... ... १)

८—श्रीराम कथा (सचित्र) ... .. १)

९—आदर्श महिलाएँ, प्रथम भाग ॥=)

१०—आदर्श महिलाएँ, दूसरा भाग ... ... ॥=)

११—सावित्री सत्यवान् ... ... ॥)

१२—सीताराम . ... ॥=)

१३—शैव्या हरिश्चन्द्र .. .. ॥)

१४—लावण्य और अनङ्ग .. ... ॥)

१५—हिन्दी शिक्षा ... . ।=)

१६—साहित्य विटप ... ... ॥)

१७—हिन्दी पत्र शिक्षा ... . =)

१८—साहित्य सरोज ... . ॥=)

१९—प्रबन्ध रचना शैली ... . ॥=)

२०—हिन्दी गुटका कोष .. . १॥)

२१—सरल हिन्दी व्याकरण ... . ।✓)

२२—तुलसी संग्रह .. .. ॥≶)

रामनरायन लाल, बुकसेलर,

इलाहाबाद